



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032020-218805
CG-DL-E-19032020-218805

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2020/फाल्गुन 27, 1941
No. 69]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2020/PHALGUNA 27, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार एवं उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

मामला सं.: (एस एस आर) 05/2019

अंतिम जांच परिणाम

विषय: सिंगापुर से "फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल" आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच।

मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 7/12/2019-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली या नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

1. मूल जांच सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और ईयू के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल के संबंध में पाटन की प्रकृति और मात्रा का घरेलू उद्योग की स्थिति पर उसके प्रभाव की जांच करने के लिए शुरू की गई थी। जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या पीयूसी भी कहा गया है) है। निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 11.01.2015 की अंतिम जांच परिणाम सं. 14/01/2013-डीजीएडी के द्वारा सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ (ई यू) से

संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क (शुल्क) लगाने की सिफारिश की थी और ये शुल्क सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 09/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 07.04.2015 द्वारा जारी करके लगाए गए थे। वर्तमान शुल्क 6 अप्रैल, 2020 तक वैध हैं।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो वह उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्ष समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाते हैं। प्राधिकारी को यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्षांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
3. उक्त शुल्क के समाप्त होने से पहले मै० मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि० जो घरेलू उद्योग है (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत रूप से साक्षांकित आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति जारी रहने और या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए आस्ट्रेलिया, ई यू और सिंगापुर के मूल की अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।
4. प्राधिकारी ने प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर माना है कि आस्ट्रेलिया और ई यू से आयातों के संबंध में समीक्षा जांच करने के लिए औचित्य अपर्याप्त है और उन्होंने दिनांक 9.8.2019 की अधिसूचना सं. 7/12/2019-डीजीटीआर के जरिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की ताकि इस बात की जांच की जा सके कि केवल सिंगापुर (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर उक्त शुल्क के समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
5. वर्तमान समीक्षा के दायरे में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उक्त वस्तुओं के आयातों से संबंधित दिनांक 11.01.2015 की अंतिम जांच परिणाम सं. 14/1/2013-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं।

क. प्रक्रिया

6. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - i. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 09.08.2019 की एक अधिसूचना जारी की जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को उसके उच्चायोग के जरिए, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को, ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
 - iii. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों तथा उच्चायोग के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार और भारत में ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं को आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध करायी। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में रखी गई और मांगने पर अन्य हितवद्ध पक्षों को प्रदान की गई।
 - iv. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों तथा घरेलू उद्योग को सूचना की एक प्रति भी अग्रेषित की थी और उनसे जांच शुरुआत अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया। प्राधिकारी के नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भी भेजी।

क) मै० शेल केमिकल्स, सिंगापुर

ख) मै० बॉयर पोलियूरेथेन एशिया (पीटीई) लि०, सिंगापुर

- v. भारत में सिंगापुर के उच्चायोग से विहित समय-सीमा के भीतर सिंगापुर के ज्ञात निर्यातकों / उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। क्या उत्पादकों / निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों के नाम और पतों के साथ उच्चायोग को भेजी गई थी।
- vi. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर देकर जवाब दिया है:
- क) मै० शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि० ("एसईपीएल")
- ख) मै० शेल ईस्टर्न ट्रेडिंग (पीटीई) लि० ("एसईटीएल")
- ग) मै० शेल केमिकल्स सेराया पीटीई लि० ("एससीएसएल")
- घ) मै० शेल ईस्टर्न केमिकल्स (एस) ("एसईसी(एस)")
- ङ) मै० कॉवेस्ट्रो (हांग कांग) लि० सिंगापुर ब्रांच("कॉवेस्ट्रो")
- च) मै० प्योर केमिकल्स पीटीई लि०, सिंगापुर ("पीसीपीएल")
- vii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी थी।
- क) शीला फोम पी लि०
- ख) प्राइम कंफर्ट
- ग) एम एच पोलिमर्स पी लि०
- घ) सोमानी फोम लि०
- ङ) तिरूपति फोम लि०
- च) दूरा पुफ
- छ) श्री सिंघल फोम्स पी लि०
- ज) मल्टीविन फोम्स पी लि०
- झ) श्री मलानी फोम्स पी लि०
- ञ) जोय फोम प्रा० लि०
- ट) इंडियन पोलियरथेन एसोसिएशन
- viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की निम्नलिखित ज्ञात एसोसिएशनों को परिचालन और आवश्यक सूचना मंगाने के लिए आयातक प्रश्नावली भेजी थी।
- क) एसोचैम
- ख) फिक्की
- ग) सी आई आई
- ix. संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित आयातकों ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर देकर प्रतिक्रिया दी है।
- क) पोन प्योर केमिकल इंडिया प्रा० लि०
- ख) शाली फोम लि०
- x. प्राधिकारी ने एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराया और हितबद्ध पक्षों के निरीक्षण हेतु खुला रखा।

- xi. वाणिज्यिक सांख्यिकीय महानिदेशालय से क्षति अवधि तथा उससे पहले की अवधि और जांच अवधि तथा जांच के बाद की अवधि के लिए भी संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा तथा अपेक्षित विश्लेषण के लिए सौदों की आवश्यक जांच के पश्चात गणना हेतु डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने व्यवहार्य सीमा तक प्रस्तुत उत्तरों के सत्यापन के लिए विशिष्ट निर्यातकों से निर्यातों की मात्रा की तुलना के लिए पीओआई हेतु डीजी सिस्टम्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से आंकड़े भी प्राप्त किए।
- xii. सामान्यतः स्वीकृति लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) तथा नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत तथा उत्पादन की ईष्टतम लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) ज्ञात की गई है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xiii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 16.10.2019 को हुई एक सुनवाई में मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। तत्पश्चात निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदलने को ध्यान में रखते हुए 18.12.2019 को एक और मौखिक सुनवाई हुई जिसमें हितबद्ध पक्षों ने भाग लिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षों को मौखिक रूप से व्यक्त उनके विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। पक्षकारों से विरोधी पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों को एकत्रित करने के लिए भी कहा गया है और उन्हें उनके खंडन यदि कोई हों, प्रस्तुत करने की सलाह भी दी गई।
- xiv. आवेदक तथा सिंगापुर के उत्पादक / निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना का प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक मौके पर सत्यापन किया गया था।
- xv. वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पी ओ आई) 01.04.2018 से 31.03.2019 (12 महीने) की है। क्षति और संभावना विश्लेषण के संदर्भ में रूझानों की जांच में अप्रैल, 2015-मार्च, 2016, अप्रैल, 2016- मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018 और पी ओ आई की अवधियां शामिल हैं।
- xvi. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उनके साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच संगत होने की सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से विचार किया गया है।
- xvii. हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
- xviii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया गया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार और समुक्तियां दर्ज की हैं।
- xix. संबंधित नियमावली के नियम 16 के अनुसार इस जांच के अनिवार्य तथ्यों को 5 मार्च, 2020 के प्रकटन विवरण द्वारा ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों बताया गया था और उनके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों को संगत समझे जाने पर इन अंतिम जांच परिणामों में स्थान दिया गया है। निम्नलिखित हितबद्ध पक्षों ने प्रकटन उत्तर के विवरण में अपनी टिप्पणियां दी हैं :

क) मै० मनाली पेट्रोकेमिकल्स लि०

ख) मै० पोन प्योर केमिकल इंडिया प्रा० लि०

- ग) मै० प्योर केमिकल्स पीटीई लि०, सिंगापुर ("पीसीपीएल")
- घ) मै० शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि० ("एसईपीएल")
- ङ) मै० शेल ईस्टर्न ट्रेडिंग (पीटीई) लि० ("एसईटीएल")
- च) मै० शेल केमिकल्स सेराया पीटीई लि० ("एससीएसएल")
- छ) मै० शेल ईस्टर्न केमिकल्स (एस) ("एसईसी(एस)")
- ज) मै० कॉवेस्ट्रो (हांग कांग) लि० सिंगापुर ब्रांच ("कॉवेस्ट्रो")
- झ) मै० शीला फोम लि०
- ञ) मै० इंडियन पोलियरथेन एसोसिएशन (आईपीयूए)
- ट) मै० एक्सपैंडेड पोलिमर्स सिस्टम्स प्रा० लि० (ईपीएसपीएल)
- xx. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिकांश हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के बाद के अनुरोध उनके पूर्ववर्ती अनुरोधों का केवल दोहराव हैं। और प्राधिकरण द्वारा जारी प्रकटन विवरण में पहले से ही इन अंतिम निष्कर्षों में भी संबोधित किया गया है। अन्य प्रकटन के बाद की टिप्पणियां, जो प्रासंगिक माना जाता है, इन अंतिम निष्कर्षों में अतिरिक्त रूप से जांच की गई हैं।
- xxi. इस दस्तावेज में *** हितबद्ध पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमों के अंतर्गत गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- xxii. प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि के लिए विनिमय दर $70.55 = 1$ यू एस डॉलर के रूप में ली गई है।

ख. विचाराधीन उत्पाद का दायरा एवं समान वस्तु

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 3000-4000 के अणु भार के फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल हैं :

ख.1 घरेलू उद्योग के विचार

8. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :

- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल है जो सिंगापुर के मूल का अथवा वहां से निर्यातित एक पॉलिमर है संबद्ध उत्पाद 3000-4000 अणु भार का एक स्पष्ट लसीला तरल होता है जिसे प्रोपलिन ऑक्साइड और एथेलिन ऑक्साइड के एक ट्रायल चैन स्टार्टर के पॉलिमराइजेशन द्वारा विनिर्मित किया जाता है। यह एक पॉलिथर है और उत्प्रेरकों और अभिवृद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करने पर साज समान, गद्दे, तकिये, मसनद, परिवहन सीटों और पैकिंग में प्रयुक्त पॉलियूरिथेन फोम उत्पादित करता है। फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल को टैंकरों में या इस्पात के ट्रकों में परिवहन किया जाता है।
- संबद्ध वस्तु को शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत उप शीर्ष 3907, 390720, 390791 और 390799 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

9. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में किसी अन्य उत्पादक / निर्यातक द्वारा प्रकटन विवरण जारी किए जाने तक कोई अनुरोध नहीं किया गया था। तथापि, प्रकटन विवरण जारी होने के बाद मै० ईपीएसपीएल से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिन पर प्रकटन के पश्चात के टिप्पणियों में समुचित रूप से विचार किया गया है।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 3000-4000 अणु भार का फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल है (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) संबद्ध उत्पाद 3000-4000 अणु भार का एक स्पष्ट लसीला तरल होता है जिसे प्रोपलिन ऑक्साइड और एथेलिन ऑक्साइड के एक ट्रायल चैन स्टार्टर के पॉलिमराइजेशन द्वारा विनिर्मित

किया जाता है। यह एक पॉलिथर है और उत्प्रेरकों और अभिवृद्धियों के साथ प्रतिक्रिया करने पर साज समान, गद्दे, तकिये, गद्दी, परिवहन सीटों और पैकिंग में प्रयुक्त पॉलियूरिथेन फोम उत्पादित करता है। फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिऑल को टैंकरों में या इस्पात के ट्रकों में परिवहन किया जाता है। (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है)

11. संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 में "प्लास्टिक और उसकी वस्तुएं" श्रेणी के अधीन और इसके अलावा, भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार 390720 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा विभिन्न आईटीसीएचएस व उद्धरित किए गए हैं। तथापि, उत्पाद विवरण को आईटीसीएचएस की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वह सांकेतिक होता है।
12. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में पी यू सी का दायरा वही रहेगा जो मूल जांच तथा उसके बाद समीक्षा जांच में था। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्ष ने समीक्षा के दायरे में संशोधन (कटौती सहित) करने का कोई वैध अनुरोध नहीं किया है।
13. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित हो रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम प्रयोगों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु माना जाना चाहिए।
14. समान वस्तु के संबंध में नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-
"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
15. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग उत्पाद, विनिर्देशन, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से विचाराधीन उत्पाद के तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इस प्रकार प्राधिकारी का यह विचार है कि आवेदक / घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियमावली के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।
16. अतः प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि वर्तमान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही रहेगा।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

17. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - i. निर्णायक समीक्षा हेतु वर्तमान आवेदन मै० मनाली पेट्रोकेमिकल्स द्वारा दायर किया गया है जिनका जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में विचाराधीन उत्पाद का केवल एक अन्य ज्ञात उत्पादक अर्थात् मै० एक्सपैंडेड पोलिमर है। यह भी नोट किया जाता है कि उक्त कंपनी ने शुल्क अवधि बढ़ाने का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध किया है।
 - ii. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक / निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं। इसके अलावा, आवेदक का संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है।

- iii. उपर्युक्त को देखते हुए और चूंकि किसी हितबद्ध पक्ष ने घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है इसलिए प्राधिकारी से नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर आवेदक को घरेलू उद्योग माने जाने का अनुरोध किया जाता है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ग. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

18. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. मनाली पेट्रोकेमिकल्स से वित्तीय विवरण में यह बताया गया है कि उसकी एक सिंगापुर में संबंधित कंपनी – एमकेम है जो व्यापार, सौदा सुविधाओं, व्यवसाय और परियोजना परामर्श जैसे अन्य कार्यकलाप करने के अलावा एमपीएल की वैश्विक उपस्थिति में आगे और सुधार करने के लिए मौजूदा विदेशी सुविधाओं के अधिग्रहण के अन्य अवसरों का पता लगाने में शामिल है। घरेलू उद्योग ने कहीं भी संबद्ध देश में ऐसी किसी संबंधित कंपनी की मौजूदगी को नहीं बताया है। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि संबंधित कंपनी संबद्ध उत्पाद में शामिल है अथवा नहीं। यह अनुरोध किया जाता है कि उत्तर देने के समय अन्य देशों के उत्पादकों /निर्यातकों पर इसी प्रकार का बोझ डाला गया था। प्रकटन संबंधी ऐसे मानक घरेलू उद्योग के लिए अलग नहीं हो सकते हैं और यह बताना उसका दायित्व है। ऐसी सूचना को गोपनीय रखते हुए घरेलू उद्योग ने वास्तविक तथ्यों को छुपाया और वर्तमान जांच में बाधा डाली है।

ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. निर्णायक समीक्षा हेतु आवेदन मै० मनाली पेट्रोकेमिकल्स द्वारा दायर किया गया था। यह नोट किया जाता है कि प्रकटन विवरण के जारी होने तक और जैसा आवेदक ने दावा किया है, मै० एक्सपैंडेड पोलिमर्स सिस्टम्स प्रा० लि० (ईपीएसपीएल) को दूसरा घरेलू उत्पादक माना जाता था। प्रकटन के पश्चात की अपनी टिप्पणियों में उन्होंने बताया है कि उन्होंने संबद्ध वस्तु का आयात किया है। तथापि, प्रकटन विवरण जारी होने के बाद ईपीएसपीएल से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर नोट किया गया है। ईपीएसपीएल अब संबद्ध वस्तु का आयातक है, क्योंकि उन्होंने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है। इसके मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक है।
20. यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक संबद्ध देश में किसी निर्यातक से संबंधित नहीं है और वह भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से भी संबंधित नहीं है।
21. हितबद्ध पक्षों के इस दलील के संबंध में कि आवेदक के पास सिंगापुर में एक संबंधित कंपनी – मै० एमकेम है जो व्यापार कार्य कलापों समेत अनेक गतिविधियों में शामिल है। प्राधिकारी ने उक्त मुद्दे की जांच की है और यह मानते हैं कि आवेदक कोई भी संबंधित कंपनी संबद्ध वस्तु में शामिल नहीं है और इसलिए इससे आवेदक की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी नोट किया जाता है कि चूंकि आवेदक संबद्ध वस्तु की किसी निर्यातक या किसी आयातक से संबंधित नहीं है इसलिए नियम 2(ख) के अनुसार उसके घरेलू उद्योग (डी आई) बनने की पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
22. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक का उत्पादन समान उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन का 100 % हिस्सा बनता है और आवेदक नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है और नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग (डी आई) है।

घ. गोपनीयता

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

23. निर्यातकों / आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों के गोपनीयता के दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नानुसार विभिन्न अनुरोध किए गए हैं:
- i. शेल ने अधूरा उत्तर प्रस्तुत किया है, क्योंकि आयातों की मात्रा संबद्ध वस्तु या उसकी कच्ची सामग्री के उत्पादन में शामिल उसकी कंपनियों का व्यौरा अन्य संबंधित कंपनियों जैसी सूचना नहीं दी गई है या अधूरा उत्तर प्रस्तुत किया गया है और इसलिए उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसके

अलावा, शेल समूह ने अपनी सभी संबंधित कंपनियों के बारे में पूर्ण सूचना प्रस्तुत नहीं की है और इसलिए उनका उत्तर अस्वीकार किया जाना चाहिए। मौखिक सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से बताये जाने के बाद भी शेल समूह ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन / बिक्री में शामिल संबंधित पक्षों की सटीक स्थिति नहीं बताया है।

- ii. आवेदक ने उनके द्वारा प्रदत्त सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत इसकी अनुमति दी गई है और उस सूचना का सार्थक सारांश भी उपलब्ध कराए गए हैं। हितबद्ध पक्षों का यह दावा कि आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जो निराधार है।
- iii. दूसरी ओर, निर्यातकों द्वारा इतनी अधिक गोपनीयता का दावा किया गया है कि प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय अंश नियमों के अंतर्गत और जारी निर्देशों के अनुसार यथा अपेक्षित निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत गोपनीय अंश का बिल्कुल सटीक रूपांतरण नहीं है। इससे न केवल प्राधिकारी की मदद करने की घरेलू उद्योग की योग्यता सीमित हो गई है बल्कि प्राधिकारी सही निष्कर्ष तक पहुंचने में असमर्थ भी हो गए हैं।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

24. घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- i. घरेलू उद्योग का यह आरोप कि शेल ने संबंधित पक्षों का प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं करके सांविधिक अपेक्षा का पालन नहीं किया है, गलत है क्योंकि कानून में केवल संबद्ध वस्तु के उत्पादक और निर्यातक के लिए जांच में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। पी यू सी के भारत में उत्पादन या घरेलू बिक्री या निर्यात में शामिल शेल की सभी संबंधित कंपनियां वर्तमान जांच में भाग ले रही हैं और उन्होंने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। आवेदक के आरोप के अनुसार शेल की अन्य चार कंपनियां संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री में शामिल नहीं हैं और इसलिए उन्हें न तो इन निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर देने की आवश्यकता है और न ही वे एफएसपी के उत्पाद और बिक्री के मूल्य श्रृंखला में शामिल हैं। ये चार कंपनियां या तो समाप्त हो गई हैं या परिसमापन की प्रक्रिया में हैं या किसी भी स्तर पर एफएसपी के निर्माण प्रक्रिया अथवा बिक्री में शामिल नहीं हैं।
- ii. सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में शेल की कंपनियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के विरुद्ध विशिष्ट आरोप जैसे कि, परंतु इन तक सीमित नहीं (क) संबंधित कंपनियां कच्ची सामग्री या सुविधाओं या आपूर्ति संबंधी सूचना नहीं दे रही हैं (ख) कच्ची सामग्री, एफएसपी के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रमुख निविष्टी वाली कच्ची सामग्री के स्रोत के संबंध में वास्तविक सूचना, (ग) अन्य सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है या प्रदान नहीं किया गया है, के संबंध में शेल ने अनुरोध किया है कि ऐसी सूचना प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के साथ पठित संगत उपबंधों के अनुसार प्रदान किए जाने हेतु अपेक्षित नहीं थी या जहां जरूरत थी वहां प्रदान की गई। इसलिए सूचीबद्ध आंकड़ों के साथ अगोपनीय अंश में उसका सार्थक सारांश उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त सूचना शेल की संबंधित कंपनी के समुचित उत्तर में विधिवत रूप से प्रदान की गई है।
- iii. पीसीपीएल के विरुद्ध इस विशिष्ट आरोप की (i) उसने व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के बिंदु संख्या 15 की अपेक्षा के तहत पी यू सी की बिक्री दिवसों की संख्या के रूप में माल सूची की सूचीबद्ध संख्या और (ii) 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 के बिंदु संख्या 13 की अपेक्षा के उल्लंघन में पी यू सी की माल सूची की सूचीबद्ध संख्या प्रदान नहीं की है, के उत्तर में पीसीपीएल ने उक्त सूचना प्रदान की है, क्योंकि वह अंजाने में प्रश्नावली से मिट गई थी। पीसीपीएल ने खंडन संबंधी अनुरोधों के अगोपनीय अंश में इसके सूचीबद्ध आंकड़े भी प्रदान किए हैं। उक्त मुद्दा उसके बाद की मौखिक सुनवाई में भी घरेलू उद्योग द्वारा उठाया नहीं गया था। इस आरोप के संबंध में कि परिशिष्ट 11 नहीं दिया गया है, व्यापार सूचना सं. 5/2018 पर भरोसा किया गया है जिसमें यह व्यवस्था है कि भारत में संबद्ध वस्तु के किसी असंबंधित निर्यातक को ही परिशिष्ट 5 के भाग 1 और भाग 2 में प्रश्नावली का उत्तर देना अपेक्षित है। चूंकि परिशिष्ट 11 व्यापार सूचना सं. 5/2018 द्वारा विहित प्रश्नावली के उत्तर के भाग 3 में शामिल है। इसलिए पीसीपीएल को परिशिष्ट 11 प्रस्तुत

करना अपेक्षित नहीं है और घरेलू उद्योग का तर्क व्यापार सूचना संख्या 5/2018 में प्रदत्त स्पष्ट विनिर्देशन के विपरीत है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. गोपनीयता के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक जांच और समाधान निम्नानुसार किया गया है :-
26. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है:-
 - (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
 - (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
 - (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।
27. सूचना की गोपनीयता संबंधी दलील के संबंध में यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां आवश्यक हो गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश उपलब्ध कराने का निर्देश किया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा। आयातों, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन, मापदंडों और क्षति मापदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवेदनशील सूचना को प्रक्रिया के अनुसार गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध किसी सूचना को गोपनीय नहीं माना जा सकता है।

ड.. विविध अनुरोध

ड.1 घरेलू उद्योग के विचार

28. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :
 - I. आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना सही है और हितबद्ध पक्षों के दावों के अनुसार उसमें कोई विसंगति नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने नियमावली के विहित सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है।
 - II. सिंगापुर से उत्पादकों / निर्यातकों ने पाटनरोधी शुल्क को समाविष्ट कर लिया है। इसके अलावा, वे अपनी कीमतों को घरेलू उद्योग की कीमतों से बराबर करने के लिए भारतीय उपभोक्ताओं को बिक्री के बाद छूट दे रहे हैं। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से संदर्भ कीमत आधारित शुल्क की सिफारिश करने का अनुरोध किया है ताकि कीमत समावेशन और बिक्री पश्चात छूट की समस्या का समाधान हो सके।

- III. यह कि मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता था। इससे पता चलता है कि मांग और आपूर्ति के अंतर की समस्या नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग के पास अब भी अप्रयुक्त क्षमता है जो भारतीय मांग को पूरा कर सकती है।
- IV. शेल समूह के उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज की तारीख तक भी उन्होंने अपने संबंधित कंपनियों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

29. सहयोगी निर्यातकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. मूल जांच में शेल समूह को असहयोगी माना गया था, क्योंकि इस समूह की दो कंपनियों – शेल ईस्टर्न केमिकल्स (एस) (एसईसी(एस)) और शेल केमिकल्स सेराया पीटीई लि० (एससीएसएल) ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर (ईक्यूआर) प्रस्तुत नहीं किया था। शेल ने बताया है कि इन दो कंपनियों द्वारा प्रश्नावली का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एससीएसएल संबद्ध वस्तु के उत्पादन या बिक्री में शामिल नहीं था। इसके अलावा, एसईसी (एस), एसईटीएल का एक मात्र पंजीकृत स्वामित्व वाला व्यवसाय है और सिंगापुर में एक मात्र स्वामित्व उस व्यवसाय के मालिक से अलग कानूनी कंपनी नहीं होती है जिसे [(एसईसी(एस)) एकाउंटिंग और कारपोरेट विनियामक प्राधिकरण (ए सी आर ए) में दर्शाया गया है। फिर भी एससीएसएल और एसईसी(एस) ने वर्तमान समीक्षा में एसईपीएल और एसईटीएल के साथ ईक्यूआर भी प्रस्तुत किया है।
- ii. वर्तमान जांच की शुरुआत कानून के अनुसार नहीं है, क्योंकि जांच शुरुआत संबंधी सूचना नियम 6(6) के साथ पठित नियम 23 (3) की अपेक्षा को पूरा नहीं करती है। प्राधिकारी प्रथमदृष्ट्या इस बात की जांच करने में विफल रहे हैं कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन में निर्णायक समीक्षा की शुरुआत का निर्णय लेने से पहले निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के लिए पर्याप्त और स्वीकार्य आंकड़े प्रदत्त हैं। आवेदन की जांच करना अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि डी ए ने ई यू और आस्ट्रेलिया को ऐसे कारणों से जांच से बाहर रखते हुए सिंगापुर से आयातों के विरुद्ध ही निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने का निर्णय लिया है जो जांच शुरुआत सूचना में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं क्योंकि वर्तमान जांच की शुरुआत कानून के अनुसार नहीं है। इसलिए सभी परिणामी कार्यवाही निष्प्रभावी होगी और इसलिए वर्तमान जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।
- iii. घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए सीमित क्षमता है। घरेलू उद्योग अपने लाभ को अधिकतम बनाने के लिए लगातार पाटनरोधी शुल्क लगवाने का सहारा लेता है।
- iv. संबद्ध देशों के दायरे से आस्ट्रेलिया और ई यू को बाहर रखे जाने का प्राधिकारी का निर्णय अतारांकित है और केवल सिंगापुर के विरुद्ध समीक्षा की शुरुआत भेदभावपूर्ण है।
- v. आवेदक भारत में संबद्ध उत्पाद का एक मात्र उत्पादक है और उसने एक या किसी न किसी स्रोत से भारत में प्रवेश करने वाले संबद्ध आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क के रूप में लगभग 17 वर्षों से निरंतर संरक्षण की मांग की है और प्राप्त किया है। यह पाटनरोधी शुल्कों के दुरुपयोग का एक अद्भुत मामला है।
- vi. यह कि सउदी अरब और यूएई जैसे श्रोता से पाटन और क्षति के संबंध में असंबद्ध दावे का इन देशों से संबंधित जांच में बेहतर ढंग से निपटान किया जाएगा जो प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से शुरू की गई और चल रही है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. संगत समझे गए विभिन्न विविध अनुरोध की निम्नानुसार जांच की गई है :

- i. इस अनुरोध के संबंध में कि शेल समूह की सभी संगत संबंधित कंपनियों ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ इसे रिकार्ड में लिया है।
- ii. विरोधी हितबद्ध पक्षों के इस तर्क के संबंध में कि आवेदन में कमी और इसलिए जांच समाप्त कर देनी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर शुरू की गई थी जिनमें पाटन, क्षति और पाटन तथा क्षति की संभावना दर्शायी गयी थी और अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार जांच की शुरुआत को उचित ठहराया गया था। विराम

प्राधिकारी ने जब भी जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सूचना भी मांगी है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया है।

- iii. जहां तक वर्तमान निर्णायक समीक्षा में कुछ देशों को बाहर रखे जाने की कारणों संबंधी दलीलों का संबंध है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आस्ट्रेलिया और ई यू से आयातों के संबंध में समीक्षा जांच करने के लिए अपर्याप्त औचित्य है और इसलिए समीक्षा का दायरा केवल सिंगापुर से विचाराधीन उत्पाद के आयातों तक सीमित है।
- iv. जहां तक निर्यातक की इस आशंका का संबंध है कि आस्ट्रेलिया और ई यू को बाहर रखने से नियमावली के नियम 19 या डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.2 का उल्लंघन होगा। यह नोट किया जाता है कि यह मामला पहले ही डब्ल्यू टी ओ अपीलीय निकाय में निपटा दिया गया है कि अनुच्छेद 9.2 (नियम 19) के अंतर्गत भेदभाव की संकल्पना समान देश (अर्थात् अंतरा-देशीय) के भीतर से निर्यातकों पर ही लागू होगी और न कि अलग-अलग देशों (अंतर-देश) के बीच में।
- v. इस दलील के संबंध में कि देश में मांग उत्पादकों की आपूर्ति क्षमता से अधिक है। यह नोट किया जाता है कि देश में मांग आपूर्ति अंतर पाटन की मौजूदगी या अनुपस्थिति का संकेतक नहीं है।
- vi. इस दलील के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क अब 17 वर्षों से लागू है और इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी नियमों के अनुसार पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच कर रहे हैं।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

31. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :

- i. घरेलू उद्योग ने जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ अपने आवेदन में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।
- ii. प्राधिकारी को सिंगापुर में एफएसपी की उत्पादन लागत की गणना के लिए आईसीआईएस एलओआर में प्रकाशित कीमतों के आधार पर प्रापीलीन ऑक्साइड (पी ओ) की बाजार कीमत पर विचार करना चाहिए और संदिग्ध आंतरिक सौदों के कारण सिंगापुर में उत्पादक द्वारा प्रस्तुत कीमतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
- iii. प्राधिकारी को सिंगापुर में स्थानीय बाजार के लिए खपत हेतु लक्षित घरेलू बिक्रियों पर ही विचार करना चाहिए और उन बिक्रियों का नहीं, जिन्हें अंततः सिंगापुर से बाहर नौवहन कर दिया गया।
- iv. प्राधिकारी को निर्यातक तथा भारत में उसकी संबंधित कंपनी के बीच सौदों की कड़ी निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग को यह संदेह है कि उसे उच्चतर मूल्य पर बेचा गया है।
- v. प्राधिकारी को सिंगापुर से उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा दिए गए बिक्री के बाद दी गई छूट की जांच करनी चाहिए।
- vi. प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेल की संबंधित कंपनियों के बीच कच्ची सामग्रियों के अंतरण के संबंध में कच्ची सामग्री की कीमतें समूह में होनी चाहिए। प्राधिकारी उत्पादक के लिए लागत निर्धारण हेतु कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत ले सकते हैं।
- vii. निर्यातक ने यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए हैं कि पाटन की कोई संभावना नहीं है।

च.2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. मै० कावेस्ट्रो (हांग कांग), सिंगापुर शाखा से भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उसके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित उत्तर तथा उत्पादक अर्थात् शेल समूह के उत्तर के आधार पर निर्धारित की जा सकती है।

- ii. सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु आवेदक द्वारा विचारित कीमतें अविश्वसनीय और अस्वीकार्य हैं। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि ये दरें कारखाना द्वार स्तर की हैं। आवेदकों ने मनमाने समायोजन का दावा किया है।
- iii. आवेदन डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 की साक्ष्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, क्योंकि (i) घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु स्वीकार्य साक्ष्य नहीं दिए हैं (ii) सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए किए गए समायोजन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क (1) (ग) के अनुसार व्यवहार्य नहीं है और (iii) निर्यातक कीमत के संबंध में समायोजन असामान्य रूप से अधिक है। लिखित अनुरोधों में विस्तृत अनुरोध किए गए हैं जिनकी डी ए द्वारा गहन जांच की जानी चाहिए।
- iv. डब्ल्यू टी ओ एडीए के अनुच्छेद 11.3 और नियमावली के नियम 23 (1ख) में अधिदेशित है कि निर्णायक समीक्षा की शुरुआत घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्षात्कृत अनुरोध के आधार पर होने चाहिए। आवेदन में घरेलू उद्योग ने व्यापार पत्रिकाओं में उल्लिखित कीमतों के आधार पर सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। व्यापार पत्रिकाओं में उल्लिखित कीमतें तब तक न्यायिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य या सूचित तथ्य नहीं होते हैं जब तक वह उस देश के जिसके लिए एनवी की गणना की जा रही है। सार्वजनिक दस्तावेजों पर आधारित न हों। अतः व्यापार पत्रिका पर आधारित सामान्य मूल्य (एन वी) पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार निर्यात कीमत के समायोजन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई संतोषजनक साक्ष्य नहीं दिया गया है। यद्यपि अंतिम जांच परिणाम सत्यापित आंकड़ों पर जारी किए जाते हैं। तथापि, जांच की शुरुआत स्वीकार्य साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए अन्यथा उनके संबंध में विधिक अपेक्षाएं निराधार हो जाएंगी।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

च.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

सामान्य मूल्य की गणना

33. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
 - (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:
34. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के मुद्दे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर जांच की शुरुआत की थी। जांच की शुरुआत के स्तर पर प्राधिकारी ने सिंगापुर के आंतरिक सौदों की अनुपलब्धता के कारण आईसीआईएस एलओआर में प्रकाशित कीमतों की आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित संबद्ध वस्तु की कीमतों को माना था। तथापि, इस प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदत्त सत्यापित आंकड़ों पर भरोसा किया है।
35. प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने हेतु सभी ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं। प्रश्नावली का उत्तर देकर निम्नलिखित कंपनियों ने प्रतिक्रिया दी है।

क) मै० शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि०

- ख) मै० शेल ईस्टर्न ट्रेडिंग (पीटीई) लि०
- ग) मै० शेल केमिकल्स सेराया पीटीई लि०
- घ) मै० शेल ईस्टर्न केमिकल्स (एस)
- ङ) मै० कॉवेस्ट्रो (हांग कांग) लि० सिंगापुर ब्रांच
- च) मै० प्योर केमिकल्स पीटीई लि०, सिंगापुर

36. चूंकि ऊपर उल्लिखित कंपनियों ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है इसलिए प्राधिकारी ने इन उत्पादकों हेतु सत्यापित आंकड़ों के आधार पर अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के अनुरोध की जांच की है और जहां उचित हो पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।
37. संबद्ध देश में अन्य उत्पादकों / निर्यातकों से सहयोग के अभाव में प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
38. तदनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के विभिन्न उत्पादकों / निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।

मै० शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि०, मै० शेल ईस्टर्न ट्रेडिंग (पीटीई) लि०, मै० शेल केमिकल्स सेराया पीटीई लि० और मै० शेल ईस्टर्न केमिकल्स (एस)

39. मै० शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि० (एसईपीएल), शेल ईस्टर्न ट्रेडिंग (पीटीई) लि० (एसईटीएल), शेल केमिकल्स सेराया पीटीई लि० (एससीएसएल) और शेल ईस्टर्न केमिकल्स (एस) (एसईसी(एस)) ने विहित प्रपत्र में अपनी-अपनी प्रश्नावली प्रस्तुत की है। इसके अलावा, दो असंबंधित व्यापारियों अर्थात् मै० कॉवेस्ट्रो (हांग कांग) लि०, सिंगापुर ब्रांच और मै० प्योर केमिकल्स पीटीई लि०, सिंगापुर ने भी प्रश्नावली का अपना उत्तर दिया है। मै० शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि०, सिंगापुर एसईटीएल की तत्काल धारक कंपनी है जो 64.66 प्रतिशत शेयर धारित करती है। शेष *** प्रतिशत शेल पेट्रोलियम एन वी, नीदरलैण्ड के पास है। एसपीटीएल एफएसपी से संबंधित व्यापार कार्य कलाप अपने पंजीकृत विधिक कंपनी के अंतर्गत या मै० शेल ईस्टर्न केमिकल्स (एस) ["एसईसी(एस)"] के पंजीकृत व्यापार नाम के अंतर्गत करती है। एसईसी (एस) अलग विधिक कंपनी नहीं है बल्कि एससी टीएल का केवल एक पंजीकृत व्यापारिक नाम है। एसईसी (एस) अलग लेखा रखती या प्रस्तुत नहीं करती है।
40. शेल समूह की चार कंपनियों ने अलग-अलग उत्तर दिया है। यह नोट किया जाता है कि एससीएसएल, एसईपीएल की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। एससीएसएल, एसईपीएल को निविष्टि अर्थात् पी ओ की आपूर्ति भी करता है जिसे संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मै० शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि० ("एसईपीएल") पी यू सी का उत्पादक है और उसने संयंत्र के प्रचालनों को अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मै० शेल केमिकल्स सेराया पीटीई लि० ("एससीएसएल") को उप संविदागत किया है। एससीपीएल एक करार अधीन गैर लाभ आधार पर संयंत्र के प्रचालन के लिए एससीएसएल द्वारा वहन की गई लागतों की प्रतिपूर्ति करती है।
41. एसईटीएल ने पी ओ आई के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी की बिक्री की है और उसे पीओआई के दौरान सीधे तथा असंबंधित व्यापारिक के जरिए भारत को संबद्ध वस्तु के *** एमटी का निर्यात किया है। उनके उत्तर के आधार पर यह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू बिक्री घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में रही हैं। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के लागत के संदर्भ में लाभ वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। यदि लाभ वाले सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग के समस्त सौदों पर विचार किया है। जहां लाभप्रद सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं वहां सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार किया गया है। व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण के आधार पर 100 प्रतिशत बिक्रियां लाभप्रद होने के कारण सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु समस्त घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है।
42. कारखाना द्वार सामान्य मूल्य ज्ञात करने के लिए प्राधिकारी ने उत्पादक (एसईपीएल) की बीजक कीमत से अंतर्देशीय भाड़े और ऋण लागत के लिए समायोजनों (यूएसडॉलर /एम टी में) समायोजनों पर विचार किया है। तदनुसार, कारखाना द्वार सामान्य मूल्य परिकलित की गई और पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

सिंगापुर से अन्य सभी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

43. यह नोट किया जाता है कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में सिंगापुर से किसी अन्य उत्पादक / निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है। असहयोग को देखते हुए प्राधिकारी ने अन्य उत्पादों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया है जो परिकलित है और पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

44. एसईपीएल संबद्ध वस्तु की अपनी पूरी मात्रा को एसईटीएल / एसईसी (एस) बेचती है और एसईटीएल / एसईसी (एस) भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करता है तथा सिंगापुर में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तु बेचता है। भारत को निर्यात एसईटीएल द्वारा सीधे और दो असंबंधित व्यापारियों अर्थात् कावेस्ट्रो (हांग कांग) लि० और प्योर केमिकल्स पीटीई लि० के जरिए किए गए हैं। यह नोट किया जाता है कि एसईटीएल ने पी ओ आई के दौरान भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसमें *** एमटी (प्रत्यक्ष रूप से), *** एमटी (प्योर केमिकल्स पीटीई लि० (पीसीपीएल)) और *** (कावेस्ट्रो (हांग कांग) लि० ("कावेस्ट्रो") के जरिए) शामिल हैं। प्राधिकारी ने एसईटीएल, पीसीपीएल और कावेस्ट्रो के उत्तरों का आवश्यक सीमा तक सत्यापन किया है और यह नोट किया है कि एसईटीएल और पीसीपीएल द्वारा की गई निर्यात बिक्रियां लाभप्रद थीं। तथापि, कावेस्ट्रो को जांच अवधि के दौरान पी यू सी के निर्यात से घाटा हुआ है।
45. कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए प्राधिकारी ने उत्पादक (एसईपीएल) की बीजक कीमत से समुद्री भाड़ा, सर्वेयर और नाइट्रोजन लागत, समुद्री बीमा, पत्तन प्रभार, अंतर्देशीय भाड़ा, डैमरेज, पैकिंग लागत और ऋण लागत के लिए समयोजनों पर विचार किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने कावेस्ट्रो को हुए घाटे के लिए भी समायोजन किए हैं। तदनुसार, कारखाना द्वार निर्यात कीमत निर्यात की गई है जो पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

सिंगापुर से सभी अन्य उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

46. यह नोट किया जाता है कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में सिंगापुर से किसी अन्य उत्पादक / निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है। असहयोग को देखते हुए प्राधिकारी ने अन्य उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया है जो परिकलित है और पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

च.3.2 पाटन मार्जिन

47. उपर्युक्त के आधार पर पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :

क्र. सं.	देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/एमटी)	निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज (%)
1	सिंगापुर	मै० शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि०	***	***	***	***	0-20
2	सिंगापुर	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	0-20

48. पाटन मार्जिन नियमावली के अधीन विहित निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसके पुनरावृत्ति होने की संभावना

49. क्षति संभावना और कारणात्मक संबंध पर विचार निम्नानुसार हैं :

छ.1 घरेलू उद्योग के विचार

- i. घरेलू उद्योग पहले से ही क्षति उठा रहा है और पाटनरोधी शुल्क हटाने से घरेलू उद्योग को क्षति और बढ़ जाएगी। पाटनरोधी शुल्क हटाने से बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों पर भारी न्यूनकारी और ह्रासकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- ii. सिंगापुर से आयातों के लिए कम कीमत पर बिक्री और कीमत कटौती सकारात्मक है। यह कीमत शुल्क की समाप्ति की स्थिति में संभावित कीमतों को भी दर्शाती है। अतः यह स्पष्ट और आसन्न है कि घरेलू उद्योग की वर्तमान कीमता पर क्षति होगी
- iii. सिंगापुर से किसी उत्पादक / निर्यातक ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि शुल्क हटाये जाने की स्थिति में पाटन अथवा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है।
- iv. आयातों की मात्रा और घरेलू उद्योग पर उनके प्रभाव से संबंधित हितबद्ध पक्षों के अनुरोधों के संबंध में यह बताया गया है कि निर्णायक समीक्षा में आयातों के वर्तमान उत्तर की कोई प्रासंगिकता नहीं है और इसलिए इस जांच में वह संगत कारक नहीं है। यह भी बताया गया है कि सिंगापुर से आयातों के साथ कारणात्मक संबंध की अनुपस्थिति संबंधी तर्क के बारे में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यह स्थापित न्याय व्यवस्था है कि “कारणात्मक संबंध” नियमावली की धारा 9क (5) और डब्ल्यू टी ओ के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अनुसार किसी निर्णायक समीक्षा जांच में अनिवार्य या आवश्यक कारक नहीं हैं। किसी भी मामले में विरोधी पक्षों द्वारा ऐसी कोई सामग्री आंकड़े, सूचना या साक्ष्य रिकार्ड में नहीं दिया गया है जो थोड़ा भी यह संकेत करता हो कि पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध नहीं हैं। पूर्वोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी को विरोधी हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों को अस्वीकार कर देना चाहिए। इसके अलावा, पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की एन आई पी और बिक्री कीमत से कम है जिससे स्पष्टतः क्षति हो रही है। इसके अलावा, पहुंच मूल्य प्रमुख कच्ची सामग्री अर्थात् प्रापीलीन ऑक्साइड (पी ओ) की अंतर्राष्ट्रीय कीमत से भी कम है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- i. सिंगापुर से आयातों की मात्रा और वहां से प्रवेश कर रही वस्तुओं की कीमत अपाटित तथा / या गैर क्षतिकारी है और इसलिए वर्तमान परिदृश्य में सिंगापुर के विरुद्ध शुल्कों को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा, सिंगापुर से आयातों में समग्र रूप से तथा उत्पादन, खपत और कुल आयातों के संबंध में गिरावट आयी है। इसके अलावा, सिंगापुर से पहुंच कीमत क्षति अवधि तथा पी ओ आई के दौरान बढ़ी है और पी ओ आई के दौरान अपने सर्वोच्च स्तर पर रही है। इसी के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत क्षति का आकलन तीसरे देश से आयातों के प्रभाव की पूर्णतः उपेक्षा करता है जो आवेदक द्वारा उठायी गई क्षति, यदि कोई हो के लिए पूर्णतः नहीं तो प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है।
- ii. जांच अवधि के बाद से संबंधित कोई आंकड़े आवेदक द्वारा नहीं दिए गए हैं। तदनुसार, रिकार्ड संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से निर्यातों में गिरावट आ रही है और इसलिए संभावना संबंधी दावा विफल होना निश्चित है।
- iii. जैसा आवेदक ने दावा किया है कि कोई कीमत कटौती अथवा कीमत न्यूनीकरण या ह्रास नहीं हुआ है। इसके अलावा, कीमत कटौती आंकलन के लिए प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद आयात कीमत की तुलना करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है कि प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ता अपने आपूर्तिकर्ता का निर्णय लेते समय उनके द्वारा देय अंतिम कीमत की तुलना करेंगे। इसके अलावा चूंकि समीक्षा में केवल सिंगापुर शामिल है इसलिए घरेलू उद्योग को अन्य देशों से कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास से संबंधित आंकड़ों सहित क्षति के अद्यतन आंकड़े प्रस्तुत करना और इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या घरेलू कीमतें उनसे प्रभावित हुई थीं।
- iv. आवेदक द्वारा दावा की गई एन आई पी मनमानी और बढ़ायी गई है, क्योंकि आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट लाभ के उच्च स्तर को दर्शाती है तथा आवेदक की कीमत संबद्ध देशों के एडीडी सहित पहुंच मूल्य से थोड़ी अधिक है (ऋणात्मक कीमत कटौती द्वारा प्रदर्शित)।

- v. आवेदक के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता में सुधार, रोजगार में वृद्धि, बिक्री मूल्य तथा प्रति इकाई बिक्री प्राप्ति में वृद्धि सहित सुधार हुआ है। इसके अलावा, आवेदक की माल सूची निरंतर घट रही है जो बेकार पड़े स्टॉक के कम होने और वस्तुओं के अधिक आवागमन को दर्शाता है। यह बात बिक्री मात्रा में सुधार द्वारा भी समान रूप से प्रदर्शित होती है। इसके अलावा, अन्य देशों से कीमतों से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) प्रभावित हुई है और उसका सिंगापुर की कीमतों से कोई संबंध नहीं है। इसी पूर्वाग्रह के बिना यह संदेह है कि प्रबंधन कार्मिकों और निदेशकों के वेतन को मनमाने ढंग से एफएसपी के उत्पादन में आवंटित किया गया है और इसकी जांच की जानी चाहिए।
- vi लाभ / हानि और आरओसीई के संबंधित आंकड़े गलत प्रदर्शित प्रतीत होते हैं और आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट के विपरीत है तथा उनका सत्यापन होना चाहिए, क्योंकि आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट 102.69 करोड़ रूपए का पीबीटी दर्शाती है और पिछले दो वर्षों में अच्छी वृद्धि का संकेत करती है। यह भी बताया गया है कि कंपनी के कारोबार का 60 प्रतिशत पोलियोल के उत्पादन और बिक्री से आता है।
- vii. आवेदक की प्रति इकाई बिक्री लागत तेजी से बढ़ी है और बिक्री कीमत उसके तालमेल में नहीं है। तथापि, लागत में वृद्धि और परिणामी घाटों के लिए किसी भी तरह से सिंगापुर के आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, प्रति इकाई बिक्री लागत और प्रति इकाई बिक्री कीमत के बीच अंतर को भारी घाटे होने का कारण नहीं बताया जा सकता है।
- viii. जब घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत कथित पाटित आयातों की दृष्टि से स्वतंत्र है तो घरेलू उद्योग की कीमतों में किसी न्यूनीकरण अथवा ह्रास के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- ix. भारत में समान वस्तु के लिए बढ़ती हुई मांग, बढ़ती हुई कीमतों पर संबद्ध आयातों की कम मात्रा घरेलू उद्योग की मजबूत बाजार स्थिति तथा क्षति अवधि के दौरान उसकी उच्चतर बिक्री प्राप्ति के आलोक में घरेलू उद्योग के वित्तीय रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है और पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता प्रभावित नहीं होगी। किसी मामले में पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता किसी समान वस्तु से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के आकलन के समय तब एक संगत कारक नहीं होती है जब वह एक बड़ी बहु उत्पाद कंपनी हो।
- x. यह भी अनुरोध किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में भी कारणात्मक संबंध की जांच करना प्राधिकारी का दायित्व है। इसके अलावा, डी आई को पाटित आयातों से इतर ऐसे कारकों की जांच करना अपेक्षित है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों और ऐसे अन्य कारकों के लिए कथित पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए जिनमें शामिल हैं (क) एडीडी के बिना वाले अन्य देशों से प्राप्त आयातों से प्रतिस्पर्धा (ख) सीपीसीबी के आदेश के कारण बंदी और (ग) पश्चवर्ती समेकन का अभाव ।
- xi. सिंगापुर से आने वाली संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग लगातार जांच अवधि सहित पिछले आठ वर्षों से भारी लाभ कमा रहा है। निदेशक के रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की गई है।
- xii. संबद्ध देश से आयात के कारण पी ओ आई में क्षति का आरोप पूर्णतः निराधार है और डी आई ने लगातार क्षति के इस आरोप को लगाते समय तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, उनकी संख्याओं की ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए।
- xiii. यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि जब संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग का प्रमुख उत्पाद है तो कंपनी के अत्यधिक उच्च लाभों के होने पर इस उत्पाद से आवेदक को क्षति कैसे हो रही है।
- xiv. घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए सीमित क्षमता है। घरेलू उद्योग अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए लगातार पाटनरोधी शुल्क लगवाता है।
- xv. केंद्र सरकार ने 67.79 अमरीकी डालर प्रति एमटी का पाटनरोधी शुल्क लगाया है। इसके अलावा, जब सिंगापुर से संबद्ध वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो घरेलू उद्योग यह दावा कैसे कर सकता है कि सिंगापुर के निर्यातकों को समाविष्ट कर दिया गया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

50. हितवद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षति संबंधी विभिन्न अनुरोधों की रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार जांच की गई है। तथ्यों और आंकड़ों से संबंधित संगत मुद्दों का क्षति विश्लेषण में समाधान किया गया है।
51. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है:
"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"
52. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच के लिए प्राधिकारी ने उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारकों पर संबंधित नियमावली के अनुबंध-II (iv) के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि की दृष्टि से विचार किया है।
53. इसके अलावा, अनुबंध-2 के साथ पठित नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में " पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "... ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।
54. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो उसे लगाने की तारीख से पांच वर्षों के बाद निष्प्रभावी हो जाता है। बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार किसी समीक्षा में यह राय व्यक्त करे कि ऐसे शुल्क को हटाने से पाटन और क्षति जारी रहने या उनके पुनरावृत्ति की संभावना है तो वह समय-समय पर उसे लागू करने की अवधि को पांच वर्ष की अगली अवधि के लिए बढ़ा सकती है और ऐसी अगली अवधि समय बढ़ाने के आदेश की तारीख से आरंभ होगी।
55. नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव, एवं (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कि पाटित आयातों के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।
56. इस संबंध में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करने में प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना संबंधी पहलुओं की जांच शुरू करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति यदि कोई हो, की जांच की है।

छ.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

i. मांग / स्पष्ट खपत का आकलन

57. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

58. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री, खपत, समस्त स्रोतों से आयातों के योग के रूप में भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत पर निम्नानुसार विचार किया है :

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एम टी	***	***	***	***
2	1 संबद्ध देश से आयात	एम टी	43,143	31,976	42,628	39,177
3	थाईलैंड (एडीडी लागू है)	एम टी	15,281	6,427	1,113	286
4	ईयू (एडीडी लागू है)	एम टी	360	18	0	0.2
5	आस्ट्रेलिया (एडीडी लागू है)	एम टी	0	0	0	0
6	अन्य देशों से आयात	एम टी	9,690	19,476	22,828	43,925
7	कुल आयात	एम टी	68,474	57,897	66,569	83,388
8	कुल मांग	एम टी	80,728	70,435	81,124	96,841

59. संबद्ध वस्तु की मांग आधार वर्ष में 80728 एम टी से बढ़कर पीओआई में 96841 एम टी हो गई है।

ii. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

आयात मात्रा और हिस्सा

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
1	संबद्ध देश		एम टी	एम टी	एम टी	एम टी
2	सिंगापुर	एम टी	43,143	31,976	42,628	39,177
	एडीडी लागू देश –					
3	थाईलैंड (एडीडी लागू है)	एम टी	15,281	6,427	1,113	286
4	ईयू (एडीडी लागू है)	एम टी	360	18	0	0.2
5	आस्ट्रेलिया (एडीडी लागू है)	एम टी	0	0	0	0
6	अन्य देश	एम टी	9,690	19,476	22,828	43,925
7	कुल		68,474	57,897	66,569	83,388
8	संबद्ध देश का आयातों में हिस्सा					
9	सिंगापुर	%	63.01%	55.00%	64.00%	47.00%
10	थाईलैंड (एडीडी लागू है)	%	22.00%	11.00%	2.00%	0.00%
11	ईयू (एडीडी लागू है)	%	0.53%	0.03%	0.00%	0.00%
12	आस्ट्रेलिया (एडीडी लागू है)	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	अन्य देश	%	14.15%	33.64%	34.29%	52.68%
14	कुल	%	100%	100%	100%	100%
15	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
क	भारतीय उत्पाद		156%	99%	119%	103%
ख	भारतीय मांग		53.44%	45.40%	52.55%	40.45%

60. सिंगापुर से आयात की मात्रा में जांच अवधि के दौरान समग्र रूप से तथा समग्र आयातों 2015-16 और पीओआई के बीच उत्पादन और मांग की दृष्टि से मामूली गिरावट आयी है। तथापि, ऐसा मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण हुआ प्रतीत होता है।

छ.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

क. कीमत कटौती

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
1	सिंगापुर से पहुंच कीमत	रु/एम टी	1,06,053	93,043	1,01,869	1,13,619
2	कुल बिक्री कीमत	रु/ एम टी	***	***	***	***
3	कुल बिक्री कीमत	सूचीबद्ध	100	94	97	104
4	कीमत कटौती	रु/ एम टी	***	***	***	***
5	कीमत कटौती	सूचीबद्ध	100	168	104	66
6	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
7	कीमत कटौती	सूचीबद्ध	100	193	109	62
8	रेंज		0-20	0-20	0-20	0-20

61. सिंगापुर से आयातों द्वारा कीमत कटौती को पी ओ आई में पाटनरोधी शुल्क के बिना सकारात्मक पाया गया है। कीमत कटौती का मार्जिन अत्यधिक समझा गया है।

ख. कीमत न्यूनीकरण / ह्रास

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
1	बिक्रियों की लागत	रु/ एम टी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	96	101
3	बिक्री कीमत	रु/ एम टी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	97	104
5	पहुंच कीमत	रु/ एम टी	1,06,053	93,043	1,01,869	1,13,619
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	96	107

62. सिंगापुर से बिक्री लागत, बिक्री कीमत और आयातों की पहुंच कीमत की तुलना से पता चलता है कि बिक्री कीमत बिक्री लागत से कम बनी हुई है जबकि पीओआई में आयातों की पहुंच मूल्य से अधिक है। पीओआई के दौरान आधार वर्ष की तुलना में संबद्ध देश से आयात के कारण कोई कीमत न्यूनीकरण या कीमत ह्रास नहीं हुआ है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री कीमत सिंगापुर से पहुंच मूल्य में परिवर्तन के तालमेल में परिवर्तित हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम बनी हुई है।

कम कीमत पर बिक्री

63. नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत की तुलना पीओआई के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। यह नोट किया जाता है कि कम कीमत पर बिक्री का मार्जिन संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण काफी अधिक है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	पीओआई
1	क्षतिरहित मूल्य	रु/एम टी	***
2	पहुंच मूल्य	रु/मी. टन	1,13,619
3	कम कीमत पर बिक्री	रु/मी. टन	***
4	कम कीमत पर बिक्री %	%	***
5.	कम कीमत पर बिक्री रेंज	%	0-20

छ.3.3 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

64. नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की जांच में प्रभाव की जांच में जिस सभी संबंधित आर्थिक कारक तथा संकेतकों का वास्तविक और निष्पक्ष मूल्यांकन हो जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जिसमें बिक्री में वास्तविक और संभावित कमी, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर लाभ तथा क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकरात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता भी शामिल है।
65. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों का नीचे विश्लेषण किया गया है :

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
1	क्षमता	एम टी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
3	उत्पादन – पोलियोल	एम टी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	130	137
5	क्षमता उपयोग– पोलियोल	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	131	138
7	उत्पादन – पीयूसी	एम टी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	126	121
9	घरेलू बिक्री कीमत – पीयूसी	एम टी	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	119	110

66. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की क्षमता संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान समान रही है। सभी प्रकार के पोलियोल जिसमें संबद्ध वस्तु भी शामिल है, के लिए यह क्षमता है। क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जो अधिकांशतः गैर पीयूसी उत्पादों के उत्पादन के कारण हुई है। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री मात्रा में भारत में मांग में वृद्धि के बावजूद 2017-18 की तुलना में पीओआई के दौरान गिरावट आई है।

ख. मांग में बाजार हिस्सा

67. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में निम्नानुसार परिवर्तन हुआ है :

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एम टी	***	***	***	***
2	संबद्ध देश से आयात	एम टी	43,143	31,976	42,628	39,177
3	थाईलैंड एडीडी लागू है	एम टी	15,281	6,427	1,113	286
4	ईयू एडीडी लागू है	एम टी	360.00	18.00	0.00	0.20
5	आस्ट्रेलिया एडीडी लागू है	एम टी	0.00	0.00	0.00	0.00
6	अन्य देशों से आयात	एम टी	9,690	19,476	22,828	43,925
7	कुल आयात	एम टी	68,474	57,897	66,570	83,388
8	कुल मांग	एम टी	80,728	70,435	81,124	96,841
	मांग में हिस्सा					
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	***	***	***	***
2	सिंगापुर से आयात	%	53.44%	45.40%	52.55%	40.45%
3	थाईलैंड एडीडी लागू है	%	18.93%	9.12%	1.37%	0.30%
4	ईयू एडीडी लागू है	%	0.45%	0.03%	0.00%	0.00%
5	आस्ट्रेलिया एडीडी लागू है	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	अन्य देशों से आयात	%	12.00%	27.65%	28.14%	45.36%
7	कुल मांग	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

68. मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में मामूली गिरावट आयी है।

ग. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

69. लाभ निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन निम्नानुसार रहा है :

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
1	बिक्रियों की लागत	रु/ एम टी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	96	101
3	बिक्री मूल्य	रु/ एम टी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	97	104
5	लाभ/(हानि)	रु/ एम टी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(62)	(73)	(42)
7	लाभ/(हानि)	रु लाख	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(63)	(87)	(47)
9	पीबीआईटी	रु लाख	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(62)	(82)	(44)
11	नकद लाभ	रु लाख	***	***	***	***
12	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(56)	(79)	(37)
13	आरओसीई	%	***	***	***	***
14	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(57)	(64)	(21)

70. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि में घाटा होना जारी रहा है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उनकी सिंगापुर के उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क को समाविष्ट कर लिया है। इसलिए वे संबद्ध वस्तु के संबंध में अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार करने में समर्थ नहीं हैं। तथापि, सिंगापुर पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने से घरेलू उद्योग को उस अवधि के दौरान घाटे कम करने में मदद मिली है।

घ. माल सूची

71. घरेलू उद्योग की माल सूची निम्नानुसार रही है :

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
आरंभिक	एम टी	***	***	***	***
अंतिम	एम टी	***	***	***	***
औसत	एम टी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	48	77

72. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत माल सूची आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में कम हुई है। तथापि, उसमें पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात् 2017-18 की तुलना में वृद्धि हुई है।

ड. रोजगार और उत्पादकता

73. रोजगार उत्पादकता और मजदूरी के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
1	प्रति दिन उत्पादकता	एम टी /दिन	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	126	121
3	रोजगार (सं.)	सं.	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100

74. यद्यपि रोजगार में 2015-16 और पीओआई के बीच स्थिरता का रुझान रहा है। तथापि, उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इसलिए उत्पादकता घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

च. पाटन की मात्रा

75. प्राधिकारी ने जैसा पूर्ववर्ती पैराग्राफ में बताया गया है कि पीओआई के दौरान सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का मूल्यांकन किया है। सहयोगी उत्पादक / निर्यातकों के लिए संबद्ध देश से पी ओ आई के दौरान पाटन न्यूनतम सीमा से अधिक रहा है और अत्यधिक है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

76. निरंतर घाटे और निवेश पर ऋणात्मक आय से पता चलता है कि इस क्षेत्र के लिए संबद्ध देश से निरंतर पाटन आयातों के कारण पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है।

ज. वृद्धि

77. घरेलू उद्योग की वृद्धि कीमत संबंधी अधिकांश मापदंडों के लिए ऋणात्मक रही है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना है।

छ.3.4 अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

78. वास्तविक क्षति, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटन आयातों की मात्रा तथा कीमत प्रभाव, इसकी कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास प्रभाव की उपस्थिति की जांच करने के

पश्चात प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य सांकेतिक मापदंडों की भी जांच की है। ताकि यह देखा जा सके कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में उत्तरदायी थे।

क. तीसरे देशों से आयातों मात्रा और कीमत

79. सिंगापुर के अलावा, संबद्ध वस्तु का आयात थाईलैंड, ई यू, सउदी अरब और यूएई आदि जैसे अन्य देशों से किया गया है। यद्यपि थाईलैंड और ई यू से आयात इस समय पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं। तथापि, प्राधिकारी ने साउदी अरब और यूएई के विरुद्ध पहले ही पाटनरोधी जांच की शुरुआत कर दी है। प्राधिकारी द्वारा यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान अन्य देशों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं हैं, से आयातों में भारी वृद्धि हुई है जबकि पाटनरोधी शुल्क लागू वाले देशों से आयातों में गिरावट आयी है।

ख. मांग में संकुचन और खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

80. क्षति अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि होती रही है। अतः मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

81. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो क्योंकि कच्ची सामग्री तथा संबद्ध वस्तुएं देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं।

घ. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

82. केवल घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों पर विचार करते हुए प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण किया गया है। अतः निर्यात बाजार में कार्य निष्पादन से वर्तमान क्षति विश्लेषण प्रभावित नहीं हुआ है।
83. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारकों से पता नहीं चलता है कि घरेलू उद्योग को उनके कारण क्षति हो सकती हो। किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने सुझाव देने का कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के लिए अन्य ज्ञात कारक जिम्मेदार हैं।

छ.3.5 क्षति मार्जिन

84. सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों और अन्य उत्पादकों / निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :

क्र. सं.	देश	उत्पादक	एनआईपी (यूएस डॉलर/ एम टी)	पहुंच मूल्य (यूएस डॉलर/एम टी)	क्षति मार्जिन (यूएस डॉलर/ एम टी)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज (%)
1	सिंगापुर	मै० शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि०	***	***	***	***	0-20
2	सिंगापुर	अन्य उत्पादकों और निर्यातकों	***	***	***	***	20-40

85. यह नोट किया जाता है कि पी ओ आई के लिए संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादक और निर्यातक के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

क्षति और कारणात्मक संबंध में प्राधिकारी के निष्कर्ष

86. यह देखा गया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण सिंगापुर से आयात की मात्रा में गिरावट आयी है। आयातों से जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। सिंगापुर से कम कीमत पर बिक्री का मार्जिन भी सकारात्मक और काफी अधिक है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति सिंगापुर के आयातों से कीमत प्रभावों के कारण उत्पादन और बिक्री में सुधार के बावजूद ऋणात्मक रही है। घरेलू उद्योग

- को अब भी घाटा हो रहा है जो यह दर्शाता है कि सिंगापुर से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अब भी क्षति उठानी पड़ रही है।
87. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के आंकड़े सही नहीं हैं। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने आंकड़ों का सत्यापन किया है और इस प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ केवल ऐसे सत्यापित आंकड़ों / सूचना का प्रयोग किया है।
 88. कंपनी की लाभप्रदता के संबंध में यह नोट किया जाता है कि आवेदक एक बहु उत्पाद कंपनी है और विचाराधीन उत्पाद की लाभप्रदता के साथ कंपनी की लाभप्रदता की तुलना करना गलत है और इस विषय पर उपलब्ध न्यायशास्त्र के अनुक्रम में भी नहीं है। इसके अलावा, प्राधिकारी के लिए घरेलू सामान उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच करना अपेक्षित है और न कि समग्र रूप से कंपनी के लिए। तदनुसार, प्राधिकारी ने इस जांच के लिए भी आंकड़ों का विश्लेषण किया है। अतः कंपनी की कुल लाभप्रदता के आधार पर हितबद्ध पक्षों की दलील सही नहीं है।
 89. घरेलू उद्योग की सीमित क्षमता के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सीमित क्षमता के बावजूद घरेलू उद्योग के पास अब भी पी यू सी की मांग को पूरा करने के लिए अप्रयुक्त क्षमता है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के आयात की कीमत के कारण घरेलू उद्योग क्षमता में और समान उत्पाद की घरेलू क्षमता उपयोग में वृद्धि नहीं कर पा रहा है।
 90. कीमत समावेशन के मुद्दे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी को जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग के दावे के अनुसार उत्पादक / निर्यातक द्वारा किसी कीमत समायोजन का पता नहीं चला है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग कीमत समावेशन से संबंधित जांच के दौरान अपने आरोप को सिद्ध नहीं कर सका था।
 91. पी ओ आई पश्चात के बाद के आंकड़ों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह दावा करते हुए पी ओ आई के बाद के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं कि उन्हें क्षति होना जारी है। तथापि, चूंकि घरेलू उद्योग जांच के अधीन अवधि में क्षति उठा रहा है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि घरेलू उद्योग की क्षति जारी रहेगी। अतः हितबद्ध पक्षकारों की यह दलील की। चूंकि घरेलू उद्योग ने पी ओ आई के बाद के कोई आंकड़े नहीं दिए हैं। इसलिए संभावना संबंधी उनका दावा विफल ही होगा, गलत है।
 92. कीमत कटौती, कीमत ह्रास या न्यूनीकरण, क्षमता उत्पादन, बिक्री मात्रा, निवल बिक्री प्राप्ति, बिक्री लागत आदि से संबंधित मुद्दों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि इनका समाधान घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी मापदंडों के विश्लेषण के दौरान कर दिया गया है।
 93. एन आई पी के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर और नियमावली के अनुबंध-III का कड़ाई से पालन करते हुए एन आई पी का परिकलन किया है। अतः हितबद्ध पक्षों की सभी चिंताओं पर समुचित रूप से ध्यान दिया गया है।

छ.3.6 पाटन और क्षति के जारी रहने या उसके पुनरावृत्ति होने की संभावना

94. यह नोट किया जाता है कि यह एक निर्णायक समीक्षा है और इसलिए इसका ध्यान इस बात की जांच पर केंद्रित है कि क्या इस पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया या उसमें बदलाव किया जाता है तो पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में हितबद्ध पक्षों के विचारों की नीचे जांच की गई है।

घरेलू उद्योग के विचार

95. पाटन के जारी रहने की संभावना और क्षति की परिणामी पुनरावृत्ति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
 - i. प्राधिकारी इस बात को समझ सकते हैं कि किसी भी निर्यातक ने यह दर्शाने का दावा नहीं किया है या आंकड़े नहीं दिए हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना नहीं है। अतः प्राधिकारी को प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए सभी दावों को खारिज कर देना चाहिए।

- ii. घरेलू उद्योग को पहले ही क्षति हो रही है और पाटनरोधी शुल्क के हटने से घरेलू उद्योग को क्षति बढ़ जाएगी। पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमत पर भारी न्यूनकारी और ह्रासकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- iii. यह कि सिंगापुर में उत्पादक संबद्ध वस्तु की भारी क्षमताएं रखे हुए है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने सिंगापुर में संबद्ध वस्तु की अतिरिक्त क्षमताओं के दावे को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। यह भी अनुरोध किया गया है कि सिंगापुर में उनके स्थानीय बाजार में संबद्ध वस्तु की सीमित खपत है और सउदी अरब तथा यूएई में नई क्षमता की वृद्धि से भारत सिंगापुर से उत्पादकों / निर्यातकों के लिए आकर्षक बाजार बना हुआ है। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में वृद्धि होगी जो शुल्क के लागू होने के बावजूद गैर लाभकारी आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने के तथ्य से स्पष्ट है।
- iv. ट्रेड मैप की वेबसाइट से डाउनलोड की गई रिपोर्ट के आधार पर भारत सिंगापुर से समग्र निर्यात आकर्षकता के अनुसार दूसरे रैंक पर है जिससे संबद्ध वस्तु के भारतीय बाजार के आकर्षक होने का पता चलता है।
- v. पी ओ आई अवधि की तुलना में पी ओ आई के पश्चात आयात कीमतों में गिरावट का अर्थ शुल्क के समाप्त होने पर पाटन की संभावना है और इससे पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने का औचित्य सिद्ध होता है।
- vi कुछ वर्षों के दौरान अनेक देशों से कुछ उत्पादकों पर पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से निस्संदेह यह बात सिद्ध होती है कि यदि शुल्क हटता है तो घरेलू उद्योग को क्षति में और वृद्धि होगी।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

96. पाटन और पाटन के जारी रहने और क्षति की परिणामी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं :
 - i. कोई अतिरिक्त उत्पादन क्षमताएं नहीं हैं क्योंकि शेल काफी उच्च क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा है। शेल द्वारा अप्रयुक्त रह गई क्षमता इस तथ्य के कारण थी कि पी यू सी का उत्पादन प्रापीलीन आक्साइड (पी ओ) जो प्रमुख कच्ची सामग्री है, की उपलब्धता पर निर्भर है। किसी भी तरह से आवेदक द्वारा दावा की गई अधिक क्षमता का अर्थ किसी विशेष देश में घरेलू मांग से अधिक कोई क्षमता नहीं है। बजाय इसके, आधिक्य का अर्थ घरेलू मांग को पूरा करने के बाद तथा उत्पादक द्वारा वैश्विक मांग को पूरा करने के बाद बच गई निष्क्रिय क्षमताएं हैं और इसका अर्थ वह क्षमता है जिसे भविष्य में पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री में लगाया जा सकता है।
 - ii. घरेलू उद्योग ने (क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि दर जो आयात में भारी वृद्धि की संभावना दर्शाती हो (ख) निर्यातक की क्षमता में आसन्न और भारी वृद्धि जो किसी अतिरिक्त निर्यात को समाविष्ट करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता के कारण भारतीय बाजारों में पाटित निर्यातों में भारी वृद्धि की संभावना दर्शाती हो, के संबंध में (ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर भारी न्यूनकारी और ह्रासकारी प्रभाव पड़ता हो और उनसे आगे आयातों की मांग बढ़ने की संभावना है और (घ) वस्तु की माल सूची की जांच की जा रही है, का कोई आरोप नहीं लग रहा है जिसकी प्राधिकारी द्वारा जांच करने की आवश्यकता हो। फिर भी इन कारकों की जांच से यह पता नहीं चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना मौजूद हो। इसके अलावा, डी आई का यह भी दावा किया है कि सिंगापुर से आयातों में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आयातों में वृद्धि पाटित कीमतों पर होनी चाहिए और मात्र आयातों में वृद्धि होना पर्याप्त नहीं है।
 - iii. घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के लिए सिंगापुर से आयातों की वास्तविक मात्रा को छिपाया है कि पाटनरोधी शुल्क के अतिरिक्त बोझ के प्रभाव के कारण भारत को सिंगापुर से आयात कम हो गए हैं और उन्हें हटाए जाने से आयातों में पुनः वृद्धि हो जाएगी।
 - iv. भारत में शुल्क का लागू होना किसी भी तरह से भारतीय बाजार में कीमत आकर्षकता को नहीं दर्शाता है। कीमत आकर्षकता तभी सिद्ध हो सकती है यदि आवेदक यह दर्शाए कि संबद्ध देश से आयात किसी तीसरे देश को कमतर कीमतों पर भेजे जा रहे हैं जो बेहतर कीमत के लिए भारतीय बाजार में भेजे जा

सकते हैं। एडीडी की मौजूदगी से किसी भी तरह से कीमत की प्रवृत्ति की या आकर्षकता सिद्ध नहीं होती है।

- v. आवेदक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि सिंगापुर से उत्पादकों / निर्यातकों ने एडीडी का समावेशन कर लिया है और अब भी अन्य देशों की तुलना में कमतर कीमतों पर भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहे हैं। संभावना संबंधी मापदंडों के बारे में ऐसे यादृच्छिक वक्तव्यों का पाटनरोधी जांच में कोई स्थान नहीं है और जिन्हें अस्वीकार किया जाए।
- vi कम कीमत पर बिक्री को इस आंकलन के प्रयोजनार्थ कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उस पर निरमा बनाम भारत संघ में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एडीडी की राशि लगाए जाने के प्रयोजनार्थ ही विचार किया जाए।

पाटन और क्षति की जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच

97. वर्तमान जांच सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के निर्णायक समीक्षा है। वर्तमान पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बारे में हितबद्ध पक्षों के अनुरोधों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा जांच प्राथमिक रूप से संभावना विश्लेषण के लिए होती है। नियमावली के अनुसार प्राधिकारी को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन और पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की जारी रहने की संभावना का विश्लेषण करना होता है। इसी के साथ यह नोट करना संगत है कि वर्तमान पाटन मार्जिन और क्षति पाटन और क्षति की संभावना के अच्छे संकेतक हैं जो शुल्क वापिस लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने का कारण बन सकते हैं।
98. पाटनरोधी उपायों के लागू होने के बावजूद सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात जारी हैं और सिंगापुर से सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों की श्रृंखला के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक है। यह बात दर्शाती है कि सिंगापुर से संबद्ध वस्तु की पाटन की संभावना है। इसके अलावा, एडीडी के बिना आयात ऐसी कीमतों पर पहुंच रहे हैं जो घरेलू बिक्री कीमत से कम है जिससे घरेलू उद्योग पर सिंगापुर से आयातों का संभावित क्षतिकारी प्रभाव प्रदर्शित होता है।
99. यह देखने के लिए अनेक कारकों की जांच की गई है कि क्या क्षति जांच अवधि के दौरान सिंगापुर से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और क्या ऐसे परिदृश्य में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होना जारी रहेगा।
100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों में क्षति अवधि के दौरान मामूली गिरावट आयी है। ऐसा पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के कारण और साउदी अरब और यूएई से आयातों के कारण भी हुआ, प्रतीत होता है। तथापि, यदि सिंगापुर से शुल्क हटाया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आयातों की मात्रा में वृद्धि होगी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग जिसके पास कुल मांग में पहले ही कम हिस्सा है, ऐसे बड़े हुए आयातों के विरुद्ध कमजोर हालत में होगा।
101. प्राधिकारी ने भारतीय बाजार के लिए निपटान योग्य मात्रा के विपथन की संभावना का पता लगाने के लिए मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं और क्षमता वृद्धि यदि कोई हो, के मूल्यांकन से संबंधित मापदंडों की जांच का विश्लेषण किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि सिंगापुर के उत्पादकों के पास पहले से ही भारी आधिक्य क्षमताएं हैं जिन्हें आसानी से भारत में भेजा जा सकता है और वर्तमान दर पर घरेलू उद्योग को क्षति और बदतर हो जाएगी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार और जांच के बाद यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद के निर्माण की भारी क्षमताएं संबद्ध देश में रहना जारी है और यद्यपि संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद गिरावट आयी है। तथापि, उनकी कीमतें अब भी इस प्रकटन विवरण में बताए गए और जांच किए गए अनुसार घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रही हैं।
102. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के आयात पाटित कीमतों पर आना जारी है और इन उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक बना हुआ है। संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादक / निर्यातक के संबंध में निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक और अत्यधिक रहना जारी है। रिकार्ड में साक्ष्य दर्शाते हैं कि भारत संबद्ध देश के लिए एक बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा और भारत में घरेलू उद्योग ऐसे पाटित आयातों के प्रति कमजोर बना रहेगा।

103. यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के लिए भारतीय बाजार में उत्पाद की अच्छी मांग है। यह भी नोट किया जाता है कि बाजार में इस निरंतर वृद्धि के कारण भारत निर्यात की अधिक क्षमता वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के लिए एक आकर्षक बाजार बना रहेगा। इसके अलावा, यदि शुल्क हटाया जाता है तो भारतीय बाजार और अधिक आकर्षक बन जाएगा क्योंकि वे और अधिक मात्राएं बेच सकेंगे।
104. अतः प्राधिकारी मानते हैं कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है।

प्रकटन के बाद की टिप्पणियां

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

105. घरेलू उद्योग ने अलग पाटन मार्जिन प्रदान करने हेतु शेल समूह की कंपनियों के उत्तर को अस्वीकार करने संबंधी अपने अनुरोध को दोहराया है उन्होंने घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति तथा पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की संभावना संबंधी अपने अनुरोध को भी दोहराया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किया है।
106. प्राधिकारी को शेल समूह द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकार कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रमुख निविष्टियों के उत्पादन में शामिल समूह की अपनी कंपनियों के बारे में अधूरी और गुमराह करने वाली सूचना दी है।
107. बार-बार अनुरोध के बावजूद शेल समूह ने उन कंपनियों के नाम नहीं बताए हैं जो उनके अनुरोध के अनुसार अब प्रचालन में नहीं हैं या प्रकटन विवरण के समय तक संबद्ध वस्तु की मूल्य श्रृंखला के प्रचालन में शामिल नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि शेल समूह ने स्पष्ट नहीं किया है कि क्या इनमें से किसी कंपनी ने जांच अवधि के दौरान किसी निविष्टि की आपूर्ति की है अथवा नहीं। यह भी अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा यह मानने की संभावना नहीं है कि संबंधित पक्षों की सूचना निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्राधिकारी इन पर स्पष्ट निर्णय दे सकते हैं ताकि सभी वर्तमान और भावी मामलों में यही नीति अपनायी जाए।
108. क्या शेल ईस्टर्न केमिकल्स (एस), मै० प्योर केमिकल्स पीटीई लि०, सिंगापुर और पोन् प्योर केमिकल इंडिया प्रा० लि० के लाभ और एसजीए शेल समूह के लिए कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करते समय घटाए गए थे। उपर्युक्त समायोजन पाटनराधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 6(i) में यथा परिकल्पित व्यापार के समान स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों की तुलना के लिए आवश्यक हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

109. आस्ट्रेलिया और ई यू के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा जांच शुरू नहीं, घरेलू उद्योग के संबंधित पक्ष के बारे में सूचना के अप्रकटन, घरेलू उद्योग को क्षति के जारी नहीं रहने, घरेलू उद्योग की सीमित क्षमता, पी ओ आई के दौरान उनके द्वारा अर्जित रिकार्ड लाभ, पी ओ आई के दौरान सिंगापुर से आयात कीमत में वृद्धि और पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के अभाव के बारे में अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराने के अलावा हितबद्ध पक्षों ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं।
110. प्रतिवादियों द्वारा पूर्ण सहयोग और अलग मार्जिन तथा शुल्क के संबंध में प्रकटन विवरण में किए गए निर्धारण की प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जाए। यदि निर्धारणों में इसके विपरीत कुछ है तो सहयोगी निर्यातकों को उत्तर देने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
111. मै० एक्सपैंडेड पोलिमर्स सिस्टम्स प्रा० लि० (ईपीएसपीएल) ने अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के बजाय उन्होंने मूल्य वर्धित वस्तुओं का निर्माण शुरू कर दिया है जहां वे आयातित संबद्ध वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जांच की प्रक्रिया के दौरान याचिका के अगोपनीय अंश की प्रति उन्हें नहीं दी गई थी।
112. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे पर, ई पी एस पी एल ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक का दावा केवल आंशिक रूप से ही सही है यद्यपि, वे कार्य और अंतिम उपयोग में एक जैसे हो सकते हैं। तथापि, गुणवत्ता, तकनीकी विनिर्देशन और निर्माण की प्रक्रिया में अंतर है। यह भी दावा किया गया है कि आवेदक पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। उन्होंने पोलिमेर पोलियोल के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले 3000-4000 आणविक वजन के पालीइथर पोलियोल को बाहर रखने की भी मांग की है। ई पी एस पी एल ने समान

वस्तु और विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आवेदक के दावे पर भी प्रश्न उठाया है और यह उल्लेख किया है कि दोनों सदृश नहीं हैं और यह दावा आंशिक रूप से सही है। अतः विचाराधीन उत्पाद को समान वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है। ई पी एस पी एल ने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि वे इन शुल्कों का विस्तार करें क्योंकि इससे केवल एक देश को लाभ प्राप्त होगा।

113. इंडियन पोलियूरेथीन एसोएशन और शीला फोम ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के पास भारत में मांग की तुलना में काफी सीमित क्षमता है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग देश के सुदूर कोने में स्थित है और आपूर्ति लागत की दृष्टि से किफायती नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि घरेलू उद्योग ने अपने वार्षिक लेखों में भारी लाभ दर्शाया है।
114. किसी समीक्षा में शुल्क के रूप को तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक कि ऐसे परिवर्तन को सही सिद्ध करने वाले वास्तविक तथ्य उपलब्ध हों। इस संबंध में पुनीत रिजीन्स लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय सेस्टेट के निर्णय पर भरोसा किया गया है। संदर्भ कीमत पद्धति में किसी संदर्भ या स्तर कीमत का निर्धारण शामिल होता है जो पूर्व निर्धारित ऐतिहासिक आंकड़े (पीओआई) पर आधारित हो। जबकि परिणामी शुल्क अगले पांच वर्षों के लिए लागू रहेगा। ऐसी संदर्भ कीमत अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले बाजार जहां उत्पाद और उसकी निविष्टियों की कीमतें अस्थिर बाजार, दशाओं में संदिग्ध रहती हैं, में प्रासंगिकता गवा सकती है। वर्तमान मामले के तथ्यों में यह नोट किया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तु पेट्रा रसायन उत्पाद है चूंकि मूल कच्ची सामग्री / निविष्टि की कीमत में भारी उतार चढ़ाव होते हैं। इसलिए संदर्भ कीमत पर भरोसा करना निर्यातकों, आयातकों तथा प्राधिकारी के लिए भी विध्वंसकारी होगा। इसके लिए ई यू, जापान, कनाडा और यूएसए से स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादकों के संबंध में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के बाद की टिप्पणियां / अनुरोध अधिकांशतः दोहराव है और उन पर पहले ही इस जांच परिणाम के संगत तैराव में उपयुक्त और पर्याप्त रूप से जांच और समाधान किया गया है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के बाद की गई टिप्पणियों / अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक निम्नानुसार जांच की गई है।
116. शेल द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकार करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उनकी प्रश्नावली के उत्तर में अधूरी सूचना देने के आधार पर अनेक दावे किए गए थे जिनका शेल द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के साथ खंडन किया गया है।
117. प्राधिकारी स्पष्ट रूप से नोट करते हैं कि शेल की चार संबंधित कंपनियों अर्थात् (i) एथिलीन ग्लाइकोल सिंगापुर (ईजीएस); (ii) एल्बा इस्टर्न प्रा० लि० (ईईपीएल); (iii) पोलिलेफिन कंपनी पीटीई लि० (पीसीपीएल); (iv) शेल सेराया पायनियर लि० (एसएसपीएल) के प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं करने के कारण शेल के उत्तर को अस्वीकार करने संबंधी दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है। शेल ने यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिए हैं कि इनमें से कोई भी कंपनी पी यू सी के उत्पादन या बिक्री में शामिल नहीं थी या जांच अवधि के दौरान पी यू सी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री या आपूर्ति में शामिल नहीं थी।
118. सिंगापुर से निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध के बारे में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने समस्त सूचना की आवश्यक जांच और सत्यापन के बाद सिंगापुर से सभी निर्यातकों के उत्तर पर विचार और उन्हें स्वीकार किया है।
119. कारखाना द्वार निर्यात कीमत का परिकलन करते समय व्यापारियों के बिक्री तथा सामान्य प्रशासनिक खर्चों के समायोजन के लिए घरेलू उद्योग के दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य और उत्पादक के कारखाना द्वार स्तर पर कीमत की तुलना इस जांच परिणाम के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में यथा उल्लिखित उसकी बिक्री कीमत से समुचित समायोजन करने के बाद उत्पादक के लिए की गई है जहां भी अपेक्षित हो प्राधिकारी ने व्यापारी के लिए बिक्री और सामान्य प्रशासनिक खर्चों के कारण समायोजन भी किए हैं।
120. केवल सिंगापुर के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा शुरू करने के प्राधिकारी के निर्णय से संबंधित अनुरोध को दोहराये जाने के बारे में यह नोट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अनुसार सिंगापुर से निर्यातकों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं हुआ है। यह भी नोट किया जाता है कि नियम 23 (1ख) और डब्ल्यू टी ओ एडीए अनुच्छेद 11.3 में जांचकर्ता प्राधिकारी पर किसी देश, जिसके विरुद्ध घरेलू उद्योग द्वारा संभावना संबंधी कोई सकारात्मक सूचना

प्रस्तुत नहीं की गई हो, को बाहर रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि जांच के दौरान भी घरेलू उद्योग समेत हितबद्ध पक्षों में से किसी ने भी यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि आस्ट्रेलिया और ई यू के संबंध में प्राधिकारी का निष्कर्ष गलत था। इसके मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों के दायरे से आस्ट्रेलिया और ई यू को बाहर रखा जाना कानून के अनुसार तथा वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित है।

121. हितबद्ध पक्षों के दलील के संबंध में कि संबद्ध देशों से आयातों की कम मात्रा के कारण प्राधिकारी ने आस्ट्रेलिया और ई यू को जांच से बाहर रखा, प्राधिकारी मानते हैं कि कानून में प्राधिकारी के लिए निर्णायक समीक्षा जांच करने से तब भी छूट नहीं दी गई है जब संबद्ध देश से कोई आयात न हुआ हो क्योंकि धारा 9क (5) के अंतर्गत जांच पाटन और क्षति की संभावना के लिए होती है जिसके लिए जांच की अवधि के दौरान आयात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पिछले अनेक मामलों में प्राधिकारी ने यही नीति अपनाई है। अतः आयातों की मात्रा के आधार पर दो देशों को बाहर रखने के बारे में हितबद्ध पक्षकारों की दलील निराधार और गलत है।
122. सिंगापुर में स्थित घरेलू उद्योग के संबंधित पक्ष के मुद्दे के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा संबद्ध वस्तु किसी आयातक से कोई संबंध नहीं होने संबंधी प्रमाणन उपलब्ध कराया है और यह भी बताया है कि उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, संबद्ध देश में किसी संबंधित कंपनी की मौजूदगी मात्र से नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके मद्देनजर प्राधिकारी ने आवेदक को नियमानुसार सही ढंग से पात्र घरेलू उद्योग माना है।
123. प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के विरोध में इंडियन पोलियूरेथेन एसोसिएशन (आई पी यू) से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यह नोट किया जाता है कि एसोसिएशन ने पहली बार जांच में कर्तव्यों के विस्तार पर अपनी आपत्तियां उठाई, और वह भी प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद। यह आगे उल्लेख किया गया है कि एसोसिएशन ने भी निर्धारित प्रपत्र और तरीके में जानकारी प्रदान नहीं की है। किसी भी मामले में घरेलू उद्योग की क्षमता और लाभप्रदता से संबंधित उनके मुख्य प्रस्तुतिकरण को इन अंतिम निष्कर्षों में उचित रूप से प्रासंगिक पाया गया है।
124. प्रकटन विवरण को जारी किए जाने के पश्चात, संबद्ध वस्तुओं के एक मात्र अन्य ज्ञात उत्पादक अर्थात् मै. एक्सपेंडेड पोलिमर्स सिस्टम्स प्रा. लि. ने सिंगापुर के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि वे अब समान उत्पाद के निर्माता नहीं हैं तथा वे संबद्ध वस्तुओं का अब आयात कर रहे हैं। स्थिति के मुद्दे पर और घरेलू उद्योग के मुद्दे पर यह नोट किया जाता है कि अन्य उत्पादक की स्थिति में परिवर्तन (मूल जांच के अनुसार) जो अब एक आयातक है, का घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि आवेदक का अब भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है। ई पी एस पी एल के इस अनुरोध के संबंध में कि इसे जांच की शुरुआत की सूचना और प्रश्नावली प्राप्त नहीं हुई है, यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत किए जाने के बाद, अधिसूचना के माध्यम से सार्वजनिक सूचना की एक प्रति ई पी एस पी एल को यह कहते हुए भेजी गई थी कि वे अपने उत्तर प्रस्तुत करें। इसके अलावा, उक्त अधिसूचना को डी जी टी आर की वेबसाइट पर भी डाला गया था और वह सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच में भाग लेने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध था। इसके अलावा, सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने हेतु मौखिक सुनवाई के लिए सूचना भी डी जी टी आर की वेबसाइट पर डाली गई थी। इस प्रकार से प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों तक पहुंचने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं। हालांकि इस आयातक से निर्धारित रूप में और तरीके से जांच के अंतिम चरण तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बावजूद, प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की है। घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग की गई पुरानी प्रौद्योगिकी के दावे तथा आवेदक उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं में गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों का जहां तक प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि ई पी एस पी एल ने अपने दावे की पुष्टि करने के लिए कोई सहायक साक्ष्य उपलब्ध कराए बिना केवल विवरण दिया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा आयात किए गए संबद्ध वस्तुओं का उपयोग प्रयोक्ताओं द्वारा भारतीय बाजार में एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है। उसको देखते हुए ई पी एस पी एल द्वारा किए गए दावे को नहीं माना जा सकता है।
125. लागू किए जाने वाले उपाय के रूप के संबंध में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षों की ओर से किए गए समस्त अनुरोधों की जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के अनुपालन में

पाटनरोधी शुल्क के रूप को बदलने की जरूरत है की मांग करने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य या सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्राधिकारी पी यू सी के लिए पाटनरोधी शुल्क के नियत रूप को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं।

ज. भारतीय उद्योग के हित

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतियोगिता की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय करना संबद्ध देशों से आयात अनियंत्रित नहीं करेंगे तथा इसलिए उपभोक्ता को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं करेंगे।
127. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग करके निर्मित उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकती है तथा परिणामतः इस उत्पाद के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा पर कुछ प्रभाव डाल सकती है। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं होगी विशेषकर यदि पाटनरोधी शुल्क उसी राशि तक सीमित हो जो घरेलू उद्योग की क्षति को पूरा कर सके। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय पाटन व्यवहार द्वारा अर्जित किए गए अनुचित लाभ समाप्त करेंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट समाप्त करेंगे तथा उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं की विस्तृत विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करेंगे।

झ. निष्कर्ष

128. हितबद्ध पक्षों द्वारा दी गई दलीलों प्रदत्त सूचना और अनुरोधों तथा उपर्युक्त निष्कर्षों में रिकार्ड के अनुसार प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि -
- क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का लगातार पाटन हुआ है और पाटित आयातों के शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करने की संभावना है।
- ख. संबद्ध देश से पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग को लगातार क्षति उठानी पड़ी है।
- ग. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना इस स्तर पर लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाये जाने की दशा में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को दर्शाती है।
- घ. इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि यह दर्शाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि इस समय पाटनरोधी शुल्क को हटाने से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी।

ञ. सिफारिश

129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया तथा घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं संबंधी सूचना देने का अवसर प्रदान किया गया था।
130. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद की यदि पाटनरोधी मौजूदा शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के ऐसे सकारात्मक साक्ष्य हैं कि पाटन और क्षति होने की संभावना है, इसलिए प्राधिकारी का विचार है कि संबद्ध देश के विरुद्ध शुल्क को जारी रखना अपेक्षित है।
131. इन परिस्थितियों में निर्दिष्ट प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर यथा संशोधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं।

शुल्क सारणी

क्र. सं.	उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	देश का आयात	उत्पादक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3907.20	मोलेकुलर वेट का	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई भी देश	मै० शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम	45.73	एम टी	यूएस डॉलर

		फ्लेक्सिबल स्लेबस्टॉक पोल्योल 3000-4000			(पीटीई) लि०			
2	-यथोक्त-	- यथोक्त -	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई भी देश	क्र. सं. 1 के इतर कोई अन्य उत्पादक	153.89	एम टी	यूएस डॉलर
3	-यथोक्त-	- यथोक्त -	सिंगापुर से इतर कोई देश	सिंगापुर	कोई	153.89	एम टी	यूएस डॉलर

132. इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य वह आकलन योग्य मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क (1962 का 52) किया गया है और इसमें समय-समय पर यथासंशोधित सीमाप्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सामाशुल्क शामिल हैं।
133. इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ कोई अपील अधिनियम संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2020

CASE NO: (SSR) 05/2019

FINAL FINDINGS

Subject: Sunset review Investigation concerning imports of “Flexible Slabstock Polyol” from Singapore.

Background of the case

F. No. 7/12/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the “Rules”) thereof;

1. The original investigation was initiated to examine the nature and extent of dumping and its effect on the situation of the Domestic Industry with respect to Flexible Slabstock Polyol originating in or exported from Singapore, Australia and EU. The product under consideration for the purpose of investigation was “Flexible Slabstock Polyol” (hereinafter also referred to as the “subject goods” or PUC). The Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) vide its final findings No. 14/01/2013-DGAD dated 11.01.2015, recommended imposition of anti-dumping duties (Duties) against the dumped imports of the subject goods from Singapore, Australia and European Union (EU) and the duties were imposed by issuance of Customs Notification No. 09/2015- Customs (ADD) dated 7.4.2015. The current duties are valid up to 6th April, 2020.

2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping-duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
3. Before the expiry of the said duty, M/s Manali Petrochemicals Ltd., constituting the Domestic Industry (hereinafter referred to as the “Applicant”) has filed a duly substantiated application before the Authority in accordance with the Act and the Rules, for initiation of Sunset Review investigation concerning imports of “ Flexible Slabstock Polyol” originating in or exported from Australia, EU and Singapore, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of existing anti-dumping duties.
4. The Authority on the basis of the prima facie evidence, considered that there is insufficient justification for conducting review investigation in respect of imports from Australia and EU, and initiated sunset review investigation through notification No. 7/12/2019-DGTR dated 09.08.2019 to examine whether the expiry of the said duties on the import of the subject goods originating in or exported only from the Singapore (hereinafter referred to as subject country) are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
5. The scope of the present review covers all aspects of the final findings No. 14/01/2013-DGAD dated 11.01.2015 concerning imports of the above goods, originating in or exported from the subject country.

A. PROCEDURE

6. The following procedure has been followed with regard to this investigation:
 - i. The Authority issued a notification dated 09.08.2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject good from subject country.
 - ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its High Commission, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its High Commission and known importers/users in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
 - iv. The Authority also forwarded copy of the notice to known producers/exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification. The Authority sent Exporter’s Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a) M/s Shell Chemicals, Singapore
 - b) M/s Bayer Polyurethane Asia (PTE) Ltd, Singapore
 - v. The High Commission of Singapore in India was also requested to advise the exporters/producers from Singapore to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the High Commission along with the names and addresses of the known producers/ exporters from the subject country.

- vi. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response:
 - a) M/s Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (“SEPL”)
 - b) M/s Shell Eastern Trading (Pte) Ltd (“SETL”)
 - c) M/s Shell Chemicals Seraya Pte Ltd (“SCSL”)
 - d) M/s Shell Eastern Chemicals (S) (“SEC(S)”)
 - e) M/s Covestro (Hong Kong) Limited Singapore Branch (“Covestro”)
 - f) M/s Pure Chemicals Pte. Ltd., Singapore (“PCPL”)
- vii. The Authority sent Importer’s Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a) Sheela Foam P Ltd
 - b) Prime Comforts
 - c) M H Polymers P Ltd
 - d) Somany Foam Ltd
 - e) Tirupati Foam Ltd
 - f) Dura Puf
 - g) Shree Singhal Foams P Ltd
 - h) Multiwyn Foams P Ltd
 - i) Shree Malani Foams P Ltd
 - j) Joy Foam Pvt Ltd
 - k) Indian Polyurethane Association
- viii. The Authority sent Importer’s Questionnaire to the following known Associations of subject goods in India for circulation & calling necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a) ASSOCHAM
 - b) FICCI
 - c) CII
- ix. The following importers of the subject goods have responded by filing an Importer Questionnaire response :
 - a) Pon Pure Chemical India Pvt. Ltd.
 - b) Sheela foam Ltd.
- x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- xi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and period prior to it, and also the period of investigation, and post POI. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions. The Authority also obtained data from DG-Systems, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) for POI to correlate quantum of exports from specified exporters to validate the responses filed, to the extent feasible.

- xii. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xiii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 16.10.2019. Subsequently, another oral hearing was held on 18.12.2019 in view of the change of the Designated Authority, which was attended by interested parties. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and were provided an opportunity to submit their rejoinders, if any.
- xiv. On the spot verification of the information provided by the Applicant as well as the producers/exporters from Singapore was conducted to the extent considered relevant by the Authority.
- xv. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation is 01.04.2018 to 31.03.2019 (12 months). The examination of trends in the context of injury and likelihood analysis covered the periods April 2015- March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018 and the POI.
- xvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final findings.
- xvii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xviii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- xix. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 5th March, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The following interested parties have submitted their comments to disclosure statement.
- a. M/s Manali Petrochemicals Ltd
 - b. M/s Pon Pure Chemical India Pvt. Ltd.
 - c. M/s Pure Chemicals Pte. Ltd., Singapore (“PCPL”)
 - d. M/s Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (“SEPL”)
 - e. M/s Shell Eastern Trading (Pte) Ltd (“SETL”)
 - f. M/s Shell Chemicals Seraya Pte Ltd (“SCSL”)
 - g. M/s Shell Eastern Chemicals (S) (“SEC(S)”)
 - h. M/s Covestro (Hong Kong) Limited Singapore Branch (“Covestro”)
 - i. M/s Sheela foam Ltd.
 - j. M/s Indian Polyurethane Association (IPUA).
 - k. M/s Expanded Polymers systems Pvt Ltd (EPSPL).

- xx. The Authority notes that most of the post-disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions and have already been addressed in the disclosure statement issued by the Authority, and also in these final findings. Other post-disclosure submissions, to the extent considered relevant, have additionally been examined in these final findings.
- xxi. ‘***’ in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.70.55 = 1 US\$.

B. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 7. The product under consideration in the present investigation is Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000.

B1. Views of the domestic industry

- 8. Following submissions were made by the domestic industry with regards to the product under consideration –
 - i. The product under consideration in the present investigation is Flexible Slabstock Polyol, a polymer, originating in or exported from Singapore. The subject product is a clear viscous liquid of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. Flexible Slabstock Polyol is transported in tankers or stored in steel drums.
 - ii. The subject goods are classified under chapter 39 of Customs Tariff Act, 1975 under the sub-heading 3907, 390720, 390791 and 390799. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

B2. Views of the other interested parties

- 9. No submission was made by any other interested parties with regard to the scope of the product under consideration and like article, till the time of issuance of the Disclosure statement. However, comments have been received from M/s EPSPL after the issuance of disclosure statement which have been dealt appropriately in the post disclosure comments in these final findings.

B3. Examination by the Authority:

- 10. The product under consideration in the present investigation is “Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000- 4000” (hereinafter also referred to as the “subject goods”). The subject product is a clear viscous liquid polymer of molecular weight 3000-4000, manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. Flexible Slabstock Polyol is transported in tankers or stored in steel drums (hereinafter also referred to as the “subject goods”).
- 11. The subject goods are classified under the category “Plastics and articles thereof” in Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 390720 as per Indian Trade Classification. The classification, however, is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation. The Authority notes that while different ITCHS may be quoted by producers/exporters, the product description assumes primacy over the ITCHS as the same is indicative.
- 12. The present investigation being a sunset review investigation and anti-dumping duties being in force on the imports of the subject goods from the subject country, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that in the original and subsequent review investigation. Moreover, none of the interested parties have made any quantified submission requesting modification (including curtailment) in the scope of the review.
- 13. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical

to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the Applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules.

14. With regard to "like article", Rule 2(d) of the Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

15. After considering the information on record, the Authority is of the view that the subject goods produced by the domestic industry are comparable to the product under consideration in terms of chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority is of the view that subject goods produced by the Applicant/ domestic industry are like article to the product under consideration which is imported from subject country in accordance with the Rules. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
16. The Authority, therefore, confirms that the scope of the product under consideration in the present review remains the same as that of the original investigation.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C1. Views of the domestic industry

17. The following submissions have been made by the domestic industry in this regard—

- i. The current application for the sunset review has been filed by M/s Manali Petrochemicals Limited who accounts for almost 98 % share in Indian production of the subject goods during the period of investigation. As per the information available with the Applicant there is only one other known producer of the product under consideration in the country i.e., EPSPL.
- ii. As per the available information on record, the Applicant has neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any other producer/exporter of subject goods in the subject country or any importer in India. Further, the Applicant accounts for a major proportion in Indian production of the subject goods.
- iii. In view of the above and since none of the interested parties have made any submissions in relation to standing of the Domestic Industry, the Authority is requested to consider the Applicant as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules, since the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

C2. Views of the other interested parties

18. The following submissions have been made by the other interested parties in this regard:

- i. In the financial statements of Manali Petrochemicals, it has been disclosed that it has a related entity in Singapore – AMCHEM, which is involved in 'exploring other opportunities for acquisition of existing overseas facilities to further improve the global presence of MPL, besides taking up other activities such as trading, transaction facilitations, business and project consultancy'. The domestic industry has nowhere disclosed the existence of such a related entity in the subject country. It is immaterial if the said related entity is involved in the subject product or not. It is submitted that a similar burden is placed upon the producers/exporters of other countries at the time of filing of the response. Such disclosure standards cannot be different for the domestic industry and it was obligated to state the same. By keeping the said information confidential, the domestic industry has indulged in material suppression of facts and has impeded the current investigation.

C3. Examination by the Authority:

19. The application for sunset review was filed by M/s Manali Petrochemicals Limited. It is noted that till the issuance of disclosure statement, and as claimed by the Applicant, M/s Expanded Polymers Systems Private Limited (EPSPL) was considered as another domestic producer. EPSPL stated in their post disclosure comments that they have imported the subject goods. However, based on the comments received from EPSPL after issuance of disclosure statement, it is noted that EPSPL is now an importer of subject goods as they have stopped production of subject goods. In view thereof, the Authority holds that Applicant is the sole producer of the subject goods in India.
20. It is noted that the Applicant has not imported the subject goods from the subject country. It is further noted that the Applicant is not related to any of the exporters in the subject country and also not related to any importer of the subject goods in India.
21. As regards the contention of the interested parties that Applicant has a related entity in Singapore – M/s AMCHEM, which is involved in number of activities, including trading activities, the Authority has examined the said issue and considers that none of the related entities of the Applicant is involved in subject goods and hence, the same does not affect the standing of the Applicant. It is further noted that since the Applicant is not related to any exporter of the subject goods, or related to an importer, it has no impact on their eligibility to become the Domestic Industry (DI) as per Rule 2 (b).
22. In view of the above, the Authority holds that the production by the Applicant constitutes 100 % of total Indian production of the like product and that the application satisfies the requirements of 'standing' under Rule 5 of the Rules and constitutes 'Domestic Industry' (DI) in terms of Rule 2(b) of the Rules.

D. CONFIDENTIALITY**D1. Views of the Domestic Industry**

23. Various submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality claims of the exporters/importers and other interested parties are as follows:
 - i. Shell has filed a deficient response, as information such as volume of imports, details of their entities involved in the production of subject goods or its raw material, other related entities, has not been provided or deficient response has been provided and hence, the response needs to be rejected. Further, Shell group has not provided complete information about all their related companies and therefore, their response needs to be rejected. Even after specifically pointed out during the oral hearing, Shell group has not clarified the exact status of the related parties involved in the production / sales of the subject goods.
 - ii. The Applicant has claimed confidentiality on information provided by them as allowed in Rule 7 of the Rules and a meaningful summary of such information were also provided. The claims of interested parties that the Applicant has claimed excessive confidentiality are baseless.
 - iii. On the other hand, excessive confidentiality has been claimed by the exporters in as much as the non-confidential versions of the questionnaire response were not the exact replica of the confidential version filed by the exporters as required under the Rules and the instructions on the issue. This has not only restricted the ability of the Domestic Industry to assist the Authority but also handicapped the Authority in reaching the correct conclusion.

D2. Views of the other interested parties

24. Various submissions made by the interested parties with regard to confidentiality claims of the Domestic Industry are as follows:
 - i. The DI's allegation that Shell has not complied with the statutory requirement by not filing the questionnaire response of the related parties is incorrect as the law requires only the producers and exporters of the subject goods to file questionnaire responses in an investigation. All the related companies of Shell involved in the production or domestic sales or export to India of the PUC are participating in the present investigation and have

filed the questionnaire response. Other four entities of Shell as alleged by the Applicant, are not involved in the production and sale of the subject goods and therefore, they are neither required to file exporter's questionnaire response, nor are they involved in the value chain of production or sale of FSP. These four entities are either dissolved or in the process of liquidation or are not involved in manufacturing process or sale of FSP at any stage.

- ii. As regards specific allegations made against response filed by Shell entities regarding non-supply of information, such as but not limited to (a) related entities not providing information supplying raw materials or utilities, (b) actual information in relation to source of raw material, raw material used in manufacturing major inputs of FSP, (c) other information claimed to be confidential or not provided, Shell submits that either such information was not required to be provided in terms of the relevant provisions read with trade notices issued by Authority or wherever required to be provided, the same has been provided along with meaningful summary in non-confidential versions providing indexed figures. Further, all the information required by the Authority has been duly provided to the Authority in the appropriate response of concerned entity of Shell.
- iii. As against specific allegation against PCPL that it has not provided (i) indexed no of inventory as no of days of sales of PUC against the requirement of point no 15 of the Trade Notice No. 10/2018 dated 07th September, 2018; and (ii) indexed no of inventory of PUC in contravention of requirement of point no 13 of the Trade Notice No. 10/2018 dated 07th September, 2018, PCPL provided the said information as the same was inadvertently omitted in the questionnaire. PCPL also provided indexed figures of the same in the non-confidential version of rejoinder submissions. The said issue has not been re agitated by the domestic industry in the subsequent oral hearing as well. As regards the allegation that Appendix 11 is not provided, reliance is placed on Trade Notice No.5/2018 which provides that an unrelated exporter of the subject goods to India is only required to file the questionnaire response in Part I and Part II along with Appendix 5. As Appendix 11 is covered in Part III of the questionnaire response prescribed by Trade Notice No.5/2018, PCPL is not required to file Appendix 11 and the contention of the Domestic Industry is contrary to the clear prescription provided in Trade Notice No.5/2018.

D3. Examination by the Authority

25. Various submissions made by the Applicant as well as other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, are examined and addressed as follows:
26. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as under:

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

 - (2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
 - (3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.*
27. As regards the contention with regard to confidentiality of information, it is noted that information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims,

wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

E1. Views of the Domestic Industry

28. The following miscellaneous submissions have been made by the Domestic industry:

- i. The information provided in the application is correct and shows no discrepancy as claimed by the interested parties. Further, the domestic industry has followed all the procedures prescribed in the Rules.
- ii. That the producers / exporters from Singapore have absorbed the anti-dumping duties. Moreover, they are providing post sales discount to Indian customers to bench their prices equal to the prices offered by the Domestic Industry. Domestic Industry has requested the Authority, to extend the duties by recommending reference-price based duties, so that issues of price absorption and post sales discount can be addressed.
- iii. That despite increase in demand, the Domestic Industry was not able to utilize its full capacity. This shows that demand and supply gap is not an issue, as Domestic Industry has still unutilized capacity which can easily cater to the Indian demand.
- iv. That the response of Shell Group cannot be accepted as even till date they have not cleared the position about their related entities.
- v. The exporters from Singapore have absorbed the duties. The Authority is requested to impose the duty on the reference price basis or as deemed fit by the Authority.

E2. Views of the other interested parties

29. The following submissions have been made by cooperating exporters:

- i. In the original investigation, Shell group was treated as non-cooperative as two of the entities in the group - Shell Eastern Chemicals (S) ("SEC(S)") and Shell Chemicals Seraya Pte Ltd ("SCSL") did not file exporter's questionnaire response (EQR). Shell submits that filing of questionnaire by these two entities was not necessary as SCSL was not involved in the production or sale of the subject goods. Furthermore, SEC(S) is a registered sole proprietorship business of SETL and in Singapore, a sole proprietorship is not a separate legal entity from that of the business owner, which is reflected in Accounting and Corporate Regulatory Authority's (ACRA) record of SEC(S). Nevertheless, SCSL and SEC(S) have also filed EQRs along with SEPL and SETL in the present review.
- ii. Initiation of the present investigation is bad in law as the initiation notice does not meet the requirement of Rule 23(3) read with Rule 6(6). The Authority has also failed to prima facie scrutinize whether the application submitted by the Domestic Industry has provided sufficient and admissible data for the purpose of initiating sunset review, before deciding to initiate a sunset review. Scrutinizing the application was more important as the DA has decided to initiate the sunset review only against imports from Singapore while excluding EU and Australia from its purview for reasons that are not forthcoming from the initiation notice. As the initiation of the present investigation is bad in law, all the consequential proceeding will be void and therefore, the present investigation needs to be terminated.
- iii. Domestic Industry has limited capacity to meet the Indian demand. Domestic Industry in order to maximize its profit resorts to repeated levy of anti-dumping duty.
- iv. The decision of the Authority to exclude Australia and European Union from the scope of subject countries is illogical and initiation of review only against Singapore is discriminatory.

- v. The Applicant is a sole producer of the subject product in India and has sought and received continued protection for over 17 years in the form of anti-dumping duties against subject imports entering India from one or the other source. This is a classic case of misuse of anti-dumping duties.
- vi. That the unrelated claims regarding the dumping and injury caused from sources like Saudi Arabia and UAE would be better dealt with in the investigation pertaining to these countries, which has been duly initiated by the Authority and is underway.

E3. Examination by the Authority

30. The various miscellaneous submissions considered relevant have been examined as under:

- i. As regards the submission that all the relevant related entities of Shell Group have filed their responses, the Authority has taken the same on record for the purposes of present investigation.
- ii. As regards the argument of the opposing interested parties that the application is deficient and, therefore, the investigation needs to be terminated, the Authority notes that the present investigation was initiated on the basis of prima facie evidence furnished by the domestic industry showing dumping, injury and likelihood of dumping and injury to justifying initiation of the investigation in accordance with the Act and Rules. The Authority has also called for additional information wherever required and verified the information furnished by the domestic industry.
- iii. As regards the contentions raised on the reasoning for the exclusion of some countries in the present sunset review, the Authority notes that there was insufficient justification for conducting review investigation in respect of imports from Australia and EU, and thus the scope of the review investigation is restricted to imports of the product under consideration from Singapore only.
- iv. As regards the exporters apprehension that exclusion of Australia and EU leads to violation of Rule 19 of the Rules or Article 9.2 of the WTO Ant-dumping Agreement, it is noted that issue is already settled by the WTO Appellate Body that the concept of discrimination under Article 9.2 (Rule 19) applies only to exporters from within the same country (i.e., intra-country) and not between different countries (inter-country).
- v. As regards the contention that the demand in the country is more than the supply ability of the producers, it is noted that the demand supply gap in country is not an indicator of presence or absence of dumping.
- vi. As regard the contention that the antidumping duty being in force for 17 years now and having served its intended purpose, it is noted that the Authority is examining the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, as per rules.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F1. Views of the Domestic industry

31. The domestic industry inter alia submitted as follows:

- i. The Domestic Industry has provided ample evidence to support their claim of normal value and export price in their application for the purpose of the initiation.
- ii. The Authority should consider the market price of Propylene Oxide (PO), based on prices published in ICIS LOR for calculating cost of production for FSP in Singapore and not the prices submitted by producer in Singapore, due to their suspicious internal transactions.
- iii. The Authority should consider the domestic sales that is purely meant for the consumption of local market in Singapore and not those sales which is ultimately shipped outside Singapore.
- iv. The Authority should closely check the transactions between exporter and its related entity in India, as the Domestic Industry doubts that the same may be done at higher value.

- v. The Authority should check the post sales discount given by the producers/exporters from Singapore.
- vi. The Authority must ensure that the raw material pricing is at arm's length with respect to transfer of raw materials among related companies of Shell. The Authority should take the international price of raw material for determining cost for the producer.
- vii. The exporter has not provided sufficient evidence to prove that there is no likelihood of dumping.

F2. Views of the interested parties

32. The following submissions have been made by the other interested parties –

- i. The normal value and export price of the subject goods exported by M/s Covestro (Hong Kong) Singapore branch to India may be determined based on the verified responses filed by it as well as the response of the producer i.e., Shell Group.
- ii. The prices considered by the Applicant for determination of Normal Value are unreliable and inadmissible. There is no evidence that these rates are at ex-factory level. Applicants have claimed arbitrary adjustments.
- iii. The application does not meet the evidentiary requirements of the WTO Anti-Dumping Agreement and AD Rules 1995 because (i) the Domestic Industry has not provided admissible evidence for construction of normal value; (ii) the adjustment made for construction of normal value are not tenable as per Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975 r/w Annexure I of the AD Rules 1995; and (iii) the adjustments made with respect to the Export Price are abnormally high. Detailed submissions have been made in the written submissions, which need to be examined minutely by the DA.
- iv. Article 11.3 of WTO ADA and Rule 23(1B) of the Rules mandates that initiation of sunset review must be upon a duly substantiated request by the domestic industry. In the application, the Domestic Industry has determined normal value for Singapore based on Prices mentioned in trade journals. Prices mentioned in trade journals are not admissible evidence or judicially noticeable facts unless based on public documents of the country for whom NV is being calculated. Therefore, Normal Value (NV) based on trade journals cannot be relied upon. Similarly, no satisfactory evidence was provided by Domestic Industry with respect to adjustments in export price. Though Final Findings are issued on verified data, initiation of investigation should also be based on admissible evidence as otherwise, legal requirements regarding the same would be rendered superfluous.

F3. Examination by the Authority

F.3.1 Determination of normal value and export price

Normal value computation

33. Under section 9A (1) (c), of the Act, normal value in relation to an article means:

- (i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- (ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

34. As regards the issue of normal value, export price and dumping margin, it is noted that the Authority had initiated the investigation based on the *prima facie* evidence given by the Domestic Industry. At the stage of initiation, the Authority had proceeded with the prices of subject goods based on information submitted by the Applicant based on the prices published in ICIS LOR due to non-availability of internal transactions of Singapore. However, for the purpose of this disclosure statement, the Authority has relied upon the verified data provided by the interested parties.
35. The Authority sent copies of Exporter Questionnaire to all the known producers/ exporters for providing relevant information in this regard. The following entities have responded by filing questionnaire response:
- M/s Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd.
 - M/s Shell Eastern Trading (Pte) Ltd.
 - M/s Shell Seraya Chemicals Pte Ltd.
 - M/s Shell Eastern Chemicals (S)
 - M/s Covestro (Hong Kong) Limited Singapore Branch
 - M/s Pure Chemicals Pte. Ltd., Singapore.
36. Since the above-mentioned companies have filed the questionnaire responses, the Authority has examined the request for determination of individual dumping margin based on verified data for these producers and have determined dumping margin, wherever appropriate.
37. In the absence of cooperation from the other producers/exporters in the subject country, the Authority has determined the normal value, on the basis of facts available in terms of Rule 6 (8) of the Rules.
38. Accordingly, the Authority has determined the normal value, export price and dumping margin in respect of various producers/exporters of the subject country as follows:

M/s. Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd, Shell Eastern Trading (Pte) Ltd, Shell Chemicals Seraya Pte Ltd and Shell Eastern Chemicals (S)

39. M/s. Shell Eastern Petroleum Pte Ltd (SEPL), Shell Eastern Trading Pte Ltd (SETL), Shell Chemicals Seraya Pte Ltd (SCSL) and Shell Eastern Chemicals (S) (SEC(S)) have filed respective questionnaires in the formats prescribed. In addition, two unrelated traders, namely, M/s Covestro (Hong Kong) Limited, Singapore Branch and M/s Pure Chemicals Pte. Ltd., Singapore have also filed their questionnaire responses. SETL's immediate holding company is Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd, Singapore, which holds ***%. The remaining ***% is held by Shell Petroleum N.V., Netherlands. SETL carries out its activity of trading relating to FSP either under its registered legal company name, or under the registered business name of Shell Eastern Chemicals ["SEC(S)"]. SEC(S) is not a separate legal entity but merely a registered business name of SETL. SEC(S) does not maintain or file separate accounts.
40. Four entities of Shell Group have filed individual responses. It is noted that SCSL is 100% subsidiary company of SEPL. SCSL is also a supplier of input i.e. PO to SEPL, which is used in the manufacture of subject goods. Shell Eastern Petroleum (Pte) Limited ("SEPL") is the producer of the PUC and has sub-contracted the operations of the plant to its wholly owned subsidiary, Shell Chemicals Seraya Pte. Ltd. ("SCSL"). SEPL reimburses the costs incurred by SCSL for operation of plant on no profit basis under an agreement.
41. SETL has sold ***MT of the PUC in the domestic market during the POI and it has exported ***MT of the subject goods to India directly as well as through unrelated traders during the POI. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into

consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, all domestic sales have been taken into account for determination of normal value, since the profitable sales were 100%.

42. For arriving at the ex-factory normal value, the Authority has considered adjustments (in USD/MT) on account of inland freight and credit cost from the invoice price of the producer (SEPL). Accordingly, the ex-factory normal value is calculated and mentioned in the dumping margin table.

Normal value for all other producers/exporters from Singapore

43. It is noted that no other producers/exporters from Singapore has cooperated in the present sunset - review investigation. In view of the non-cooperation, the Authority has determined the Normal Value for other producers/exporters based on best facts available which is calculated and mentioned in the dumping margin table.

Export price:

44. SEPL sells the entire quantity of the subject goods to SETL/SEC(S) and SETL/SEC(S) export the subject goods to India as well as sells the subject goods in Singapore to unrelated customers. The exports to India are made by SETL directly as well as through two unrelated traders namely – Covestro (Hong Kong) Limited and Pure Chemicals Pte. Ltd. It is noted that SETL exported *** MT of the subject goods to India during the POI which comprises of ***MT (directly), ***MT (through Pure Chemicals Pte. Ltd. ("PCPL")) and *** (through Covestro (Hong Kong) Limited ("Covestro")). The Authority has verified the responses of the SETL, PCPL and Covestro to the extent necessary and noted that the exports sales made by SETL and PCPL were profitable. However, Covestro has incurred losses on the export of the PUC during the POI.
45. For arriving at the ex-factory export price, the Authority has considered adjustments on account of Ocean freight, Surveyor & Nitrogen Cost, Ocean Insurance, Port Charges, Inland Freight, Demurrage, Packing Cost and Credit Cost from the invoice price of the producer (SEPL). In addition, the Authority has made adjustment on account of the losses incurred by the Covestro. Accordingly, the ex-factory export price has been worked out which is mentioned in the dumping margin table.

Export Price for all other producers/exporters from Singapore

46. It is noted that no other producer/exporter from Singapore has cooperated in the present sunset review investigation. In view of non-cooperation, the Authority has determined export Price for such other producers/exporters based on facts available which is calculated and mentioned in the dumping margin table.

F.3.2 Dumping Margin

47. Based on the above, the dumping margin is determined, as under:

S.No	Country	Producer	Normal Value (US\$/MT)	Export price (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range (%)
1.	Singapore	M/s Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd	***	***	***	***	0-20
2.	Singapore	Other producers and exporters	***	***	***	***	0-20

48. The dumping margins are more than the *de-minimis* limits prescribed under the Rules.

G. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK AND LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY TO THE DOMESTIC INDUSTRY

49. The views on injury, likelihood and causality are as under:

G1. Views of the Domestic industry

- i. The domestic industry is already suffering injury and revocation of anti-dumping duty shall lead to intensified injury to the domestic industry. Cessation of anti-dumping duty is likely to have significant suppressing and depressing effect on the prices of the product under consideration in the market.
- ii. Price underselling and undercutting is positive for imports from Singapore. This price also indicates the likely prices in the event of cessation of duties. Therefore, it is clear and imminent that at current prices Domestic Industry will suffer injury.
- iii. None of the producers/exporters from Singapore has provided any evidence that there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury to the Domestic Industry in case duties are revoked.
- iv. As regards the submissions of interested parties relating quantum of imports and their impact of domestic industry, it is submitted that the current level of imports in sunset review has no relevance and therefore, this is not a relevant factor for this investigation. It is further submitted that the argument regarding absence of causal link with the imports from Singapore, the domestic industry submits that it is settled jurisprudence that “causal link” is not a mandatory or necessary factor in any sunset review investigations in terms of both section 9A(5) of the Rules as well as under Article 11.3 of WTO Agreement on AD. In any case, no material, data, information or evidence has been placed on record by the Opposing Parties to even remotely suggest that the causal nexus between dumped imports and injury is broken. In view of the aforesaid, the Authority should reject the arguments raised by the opposite interested parties. Moreover, the landed value is below the NIP and selling price of the domestic industry clearly causing injury. Further, landed value is also below the international price of the major raw material i.e., Propylene Oxide (PO).

G2. Views of other interested parties

- i. The volume of imports from Singapore and the pricing of the goods entering therefrom are un-dumped and/or non-injurious, and therefore, there is no rationale for the continuation of duties in the present scenario against Singapore. Further, imports from Singapore have declined in absolute terms as well as relative to production, consumption and total imports. In addition, landed prices from Singapore have increased over the period of injury and in the POI, and are at their highest level during the POI. Further, the injury assessment presented by the Applicant completely ignores the impact of third country imports which are primarily, if not entirely, responsible for the injury, if any, suffered by the Applicant.
- ii. No data pertaining to the post-POI period has been brought out by the Applicant. Accordingly, the data on record shows that exports from the subject country have been declining and therefore, the “likelihood” claim is bound to fail.
- iii. There is neither any price undercutting nor any price suppression or depression as claimed by the Applicant. Further, for price undercutting assessment, the Authority must compare the import prices after addition of anti-dumping duties. This is because the customers would compare the final prices payable by them while deciding their supplier as per the consistent practice of the Authority. Further, as review covers only Singapore, Domestic Industry is required to file updated injury data, including data regarding price undercutting, price suppression and price depression from other countries as well to examine whether domestic prices were affected by them.
- iv. NIP claimed by the Applicant is arbitrary & inflated as Applicant’s Annual Report points to high level of profits and the pricing of the Applicant is also slightly higher than the landed value with ADD of the subject imports (signified by negative price undercutting).
- v. The Applicant’s production, capacity utilization and sales has improved over the injury period along with improvement in productivity, increase in employment, sales value and sales realization per unit. Further, the Applicant’s inventory has been continuously decreasing, which is reflective of reduced idle stock and more movement of goods, reflected equally by

the improved sales volumes. Further, prices from the other countries have affected the Net selling realisation (NSR) of the Domestic Industry, and the same has no nexus with that of the prices from Singapore. Without prejudice, it is suspected that the wages for managerial personnel and directors have been arbitrarily allocated to the production of FSP and needs to be examined.

- vi. The data pertaining to profit / loss and ROCE appears to be misrepresented and contrary to the Applicant's Annual Report and merits verification as Applicant's annual report shows a PBT of INR 102.69 crore, and a healthy growth through the last two years. It has also been submitted that 60% of the company's turnover is contributed by the production and sale of Polyol.
- vii. The Applicant's cost of sales per unit has steeply increased and selling price has not kept up with the same. However, the increase in costs and the resultant losses are not attributable to imports from Singapore in any manner. Also, the difference between the cost of sales per unit and selling price per unit cannot singularly be the cause for the significant losses it is incurring.
- viii. When the selling price of the Domestic Industry moves independently from that of alleged dumped imports, any price suppression or price depression observed in the prices of the Domestic Industry cannot be attributed to dumped imports.
- ix. In light of increasing demand for the like article in India, declining volume of subject imports at increasing prices, strong market position with the domestic industry and its higher sales realization over the injury period, the domestic industry is unlikely to be affected financially and its ability to raise capital investments will not be affected. In any case, the ability to raise capital investments loses relevance as a factor while assessing material injury to the Domestic Industry of a like article when the same is a large multiproduct company.
- x. It is further submitted that it is incumbent for the Authority to examine causal link in the case of sunset review investigations also. Further, the DI is required to examine factors other than dumped imports which are causing injury to the domestic industry and such other factors must not be attributed to alleged dumped imports, which include (a) Competition from imports sourced from other countries not attracting ADD; (b) Closure due to CPCB order; and (c) Lack of backward integration.
- xi. The subject goods coming from Singapore is not injuring the Domestic Industry. Further, the Domestic Industry is making substantial profits continuously for last 8 years including POI, even the Directors' Report confirms the same.
- xii. The allegations of injury in the POI on account of imports from subject country is totally unsubstantiated and the DI resorted to misrepresentation of facts while making such allegation of continued injury. Moreover, their numbers need to be checked carefully.
- xiii. It is important to note that when subject goods is major product for Domestic Industry, how the Applicant is suffering injury in this product when company is in exceptionally high profits.
- xiv. The Domestic Industry has limited capacity to meet the Indian demand. Domestic Industry in order to maximize its profit repeatedly resorts to levy of anti-dumping duty.
- xv. The Central Government has imposed anti-dumping duties of USD 67.79 per MT. Further, when landed prices of the subject goods increased from Singapore, how Domestic Industry can claim that exporters from Singapore has absorbed the duties.

G.3 Examination by the Authority

50. The various submissions of the interested parties and the Domestic Industry on injury have been examined as per the information available on record. All relevant issues concerning the facts and figures are addressed in the injury analysis.
51. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of the Rules states as follows:

- “The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”*
52. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II (iv) of the Rules supra.
53. Further Rule 11 of the Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
54. According to Section 9(A)(5) of the Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
55. Annexure-II of the Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
56. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before undertaking to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

G.3.1 Volume Effect of dumped imports and impact on domestic industry

i. Assessment of Demand/ Apparent Consumption

57. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from the DGCI&S.
58. The Authority has considered, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources as under:

SN	Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
2	Imports from Subject Country	MT	43,143	31,976	42,628	39,177

3	Imports from Thailand (Attracting ADD)	MT	15,281	6,427	1,113	286
4	Imports from EU (Attracting ADD)	MT	360	18	0	0.2
5	Imports from Australia (Attracting ADD)	MT	0	0	0	0
6	Import from Other Countries	MT	9,690	19,476	22,828	43,925
7	Total Imports	MT	68,474	57,897	66,569	83,388
8	Total Demand	MT	80,728	70,435	81,124	96,841

59. The demand of the subject goods has increased from 80728 MT in the base year to 96841 MT in the POI.

ii. **Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry**

Import volume and Share

SN	Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Subject Country		MT	MT	MT	MT
2	Singapore	MT	43,143	31,976	42,628	39,177
	Country Attracting ADD –					
3	Thailand (Attracting ADD)	MT	15,281	6,427	1,113	286
4	EU (Attracting ADD)	MT	360	18	0	0.2
5	Australia (Attracting ADD)	MT	0	0	0	0
6	Other Countries	MT	9,690	19,476	22,828	43,925
7	Total	MT	68,474	57,897	66,569	83,388
8	Share of Subject Country in Imports					
9	Singapore	%	63.01%	55.00%	64.00%	47.00%
10	Thailand (Attracting ADD)	%	22.00%	11.00%	2.00%	0.00%
11	EU (Attracting ADD)	%	0.53%	0.03%	0.00%	0.00%
12	Australia (Attracting ADD)	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	Other Countries	%	14.15%	33.64%	34.29%	52.68%
14	Total	%	100%	100%	100%	100%
15	Subject country imports in relation to					
A	Indian Production		156%	99%	119%	103%
B	Indian Demand		53.44%	45.40%	52.55%	40.45%

60. The volume of import from Singapore has shown marginal decline during the period of investigation in absolute term as well as in relative terms compared with overall imports, production and demand between 2015-16 and POI. However, this appears to be because of the existing anti-dumping duties.

G.3.2 Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

a. Price Undercutting

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Landed Price from Singapore	Rs/MT	1,06,053	93,043	1,01,869	1,13,619
2	Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***

3	Net Selling Price	Indexed	100	94	97	104
4	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
5	Price Undercutting	Indexed	100	168	104	66
6	Price Undercutting	%	***	***	***	***
7	Price Undercutting	Indexed	100	193	109	62
8	Range		0-20	0-20	0-20	0-20

61. The price undercutting by imports from Singapore was found to be positive without anti-dumping duty in POI. The price undercutting margin is considered significant.

b. Price Suppression/ Depression

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Cost of sales	Rs /MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	92	96	101
3	Selling price	Rs /MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	94	97	104
5	Landed Price	Rs /MT	1,06,053	93,043	1,01,869	1,13,619
6	Trend	Indexed	100	88	96	107

62. Comparison of cost of sales, selling price and landed price of imports from Singapore indicates that the selling prices continue to be below the cost of sales but higher than landed value of imports in POI. There is no price depression or price suppression on account of imports from subject country during the POI, as compared to base year. It is also noted that the domestic selling price of the subject goods changed in tandem with the change in the landed value from Singapore. It is also noted that selling price of the domestic industry continues to be below the cost of production of domestic industry.

Price Underselling

63. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI. It is noted that price underselling margin is significant on account of imports of subject goods from subject country.

S.No.	Particulars	UoM	POI
1	Non-Injurious Price	Rs/MT	***
2	Landed Price	Rs/MT	1,13,619
3	Price underselling	Rs/MT	***
4	Price Underselling %	%	***
5.	Price Underselling Range	%	0-20

G.3.3 Economic Parameters relating to the Domestic Industry

64. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative

effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

65. Accordingly, various economic parameters of the Domestic Industry are analyzed herein below:

a. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volume

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	100	100	100
3	Production - Polyol	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	116	130	137
5	Capacity Utilization – Polyol	%	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	116	131	138
7	Production – PUC	MT	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	114	126	121
9	Domestic Sales Volume – PUC	MT	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	102	119	110

66. It is noted that the capacity of the domestic Industry has remained same throughout the injury investigation period. The capacity is for all types of polyols which includes subject goods also. The capacity utilization has shown an increase during the injury period which is largely on account of the production of the non-PUC products. The production and sales volume of the product under consideration shows decline during the POI as compared to 2017-18 despite increase in the demand in India.

b. Market Share in Demand

67. The market share of the domestic industry moved as shown below:

SN	Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
2	Imports from Subject Country	MT	43,143	31,976	42,628	39,177
3	Thailand attracting ADD	MT	15,281	6,427	1,113	286
4	EU attracting ADD	MT	360.00	18.00	0.00	0.20
5	Australia attracting ADD	MT	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Import from Other Countries	MT	9,690	19,476	22,828	43,925
7	Total Imports	MT	68,474	57,897	66,570	83,388
8	Total Demand	MT	80,728	70,435	81,124	96,841
	Share in Demand					
1	Sales of Domestic Industry	%	***	***	***	***
2	Imports from Singapore	%	53.44%	45.40%	52.55%	40.45%
3	Thailand attracting ADD	%	18.93%	9.12%	1.37%	0.30%
4	EU attracting ADD	%	0.45%	0.03%	0.00%	0.00%
5	Australia attracting ADD	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	Import from Other Countries	%	12.00%	27.65%	28.14%	45.36%
7	Total Demand	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

68. The domestic industry's market share in demand has declined marginally in the POI as compared to the preceding years.

c. Profitability, return on investment and cash profits

69. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow is as follows:

SN	Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	92	96	101
3	Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	94	97	104
5	Profit/(Loss)	Rs./MT	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	(100)	(62)	(73)	(42)
7	Profit/(Loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	(100)	(63)	(87)	(47)
9	PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	(100)	(62)	(82)	(44)
11	Cash Profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
12	Trend	Indexed	(100)	(56)	(79)	(37)
13	ROCE	%	***	***	***	***
14	Trend	Indexed	(100)	(57)	(64)	(21)

70. It is noted from above that the domestic industry continued to suffer losses throughout the injury investigation period. The domestic Industry has claimed that since the producers from Singapore have absorbed the anti-dumping duties, they were not able to improve their financial performance in relation to the subject goods. However, imposition of anti-dumping duties on Singapore has helped the Domestic Industry in reducing the losses during the same period.

d. Inventories

71. Inventories with the domestic industry is as follows:

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Opening	MT	***	***	***	***
Closing	MT	***	***	***	***
Average	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	81	48	77

72. It is noted from the above the average inventory of the Domestic Industry has reduced in the POI as compared to the base year. However, the same has increased as compared to the preceding year i.e., 2017-18.

e. Employment and productivity

73. Performance of the domestic industry with regard to employment, productivity and wages is as follows:

SN	Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI
1	Productivity per Day	MT/day	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	114	126	121
3	Employment (Nos)	Nos.	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	100	100	100

74. While employment indicated a stable trend between 2015-16 and POI, productivity of the domestic industry increased during the same period. Therefore, productivity is not the cause of injury to the Domestic Industry.

f. Magnitude of Dumping

75. The Authority has undertaken evaluation of dumping margin for cooperating producers/exporters during POI as stated in the earlier paras. The dumping during POI from the subject country for cooperative producer/exporters are above *de-minimis* levels, and is significant.

g. Ability to raise Capital Investment

76. The continued losses and negative return on investment indicates that the ability of the domestic industry to raise capital investments for the sector could be adversely affected due to continued dumped imports from the subject country.

h. Growth:

77. The growth of the Domestic Industry continues to be negative for most of the price parameters. The domestic industry has submitted that continued imposition of anti-dumping duty is very crucial as there is strong likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

G.3.4 Other Known Factors & Causal Link

78. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting, underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Rules have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry.

a. Volume and prices of imports from third countries

79. Apart from Singapore, subject goods are imported from other countries such as Thailand, EU, Saudi Arabia, UAE, etc. While imports from Thailand and EU are currently subject to anti-dumping duties, the Authority has already initiated an anti-dumping investigation against Saudi Arabia and UAE. It is observed by the Authority that during the injury period, the imports from other countries not attracting anti-dumping duties, increased significantly, while imports from countries attracting anti-dumping duties declined.

b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption.

80. There has been a constant rise in demand of the product concerned throughout the injury period. Therefore, decline in demand is not a possible reason of injury to the Domestic Industry.

c. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

81. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry as the raw materials as well as the subject goods are freely importable in the country.

d. Export performance of the domestic industry

82. The injury analysis has been carried out by the Authority taking into consideration domestic operations of domestic industry only. Therefore, performance in the export market has not affected the present injury analysis.

83. It is, thus, noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury on account of them. None of the interested parties has also provided any evidence to suggest that the material injury caused to the Domestic Industry is attributable to other known factors.

G.3.5 INJURY MARGIN

84. The injury margin for cooperative producers/exporters and other producers/exporters are determined as :

S.No.	Country	Producer	NIP (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin (US\$/MT)	Injury Margin %	Injury Margin Range %
1	Singapore	M/s Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd	***	***	***	***	0-20
2	Singapore	Other producers and exporters	***	***	***	***	20-40

85. It is noted that injury margin is positive and significant for cooperating producer and exporter from the subject country for POI.

Conclusion by the Authority on injury and causal link

86. It is observed that due to existing anti-dumping duties, there has been a decline in the volume of imports from Singapore. Imports are undercutting the prices of the domestic industry during the POI. The underselling margin is also positive and significant from Singapore. Further, the financial health of the domestic industry remained negative in spite of improvement in production and sales due to the price effects from imports of Singapore. The Domestic Industry is still incurring losses, which shows that the Domestic Industry is still suffering injury due to imports from Singapore.
87. As regards the submissions of the interested parties that data of the Domestic Industry is not correct, it is noted that the Authority has verified the data and only used such verified data / information for the purpose of this disclosure statement.
88. As regards the profitability of the company, it is noted that the Applicant is a multi-product company and to compare profitability of the company with profitability of the product under consideration is incorrect and also not in line with the jurisprudence available on this subject. Further, the Authority is required to examine the performance of the Domestic Industry in respect to domestic like product and not for the company as a whole. Accordingly, the Authority has analyzed the data for this investigation also. Therefore, the contention of the interested parties based on total profitability of the company is not correct.
89. In relation to limited capacity of the Domestic Industry, it is noted that despite limited capacity available with the Domestic Industry, the Domestic Industry still has unutilized capacity to cater to the demand of the PUC. It is also noted that it is the price of imports of subject goods which is restricting the ability of the Domestic Industry from enhancing the capacity and capacity utilization of the domestic like product.
90. As regards the issue of price absorption, it is noted that the Authority has not found any price absorption by the producer / exporter as claimed by the Domestic Industry during the course of the investigation. Moreover, the Domestic Industry was also not able to substantiate its allegation during the investigation relating to price absorption.
91. As regards post POI data, it is noted that the Domestic Industry has provided post-POI data claiming that they are continuing to suffer injury. However, since the Domestic Industry is suffering injury in the period under investigation, there is every likelihood that the injury to the Domestic Industry will continue. Therefore, the contention of the interested parties that since the Domestic Industry has not provided any post-POI data, their claim of likelihood is bound to fail, is incorrect.
92. As regards the issues relating to price undercutting, price suppression or depression, capacity, production, sales quantity, net sales realization, cost of sales, etc., it is noted that these have been addressed during the analysis of the injury parameters of the Domestic Industry.
93. As regards the issue of NIP, the Authority has computed the NIP based on the verified numbers of the Domestic Industry and strictly in term of Annexure III of the Rules. Therefore, all the concerns

of the interested parties are appropriately taken care of.

G.3.6 LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

94. It is noted that this is a sunset review investigation and, thus, the focus of this investigation is to examine, whether the cessation of such anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence, if the said anti -dumping duty is removed or varied. The views of interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury has been examined as below.

Views of the Domestic Industry:

95. Following are the submissions made by the Domestic Industry with regard to likelihood of continuation of dumping and consequent recurrence of injury –
- i. The Authority may like to appreciate that none of the exporters has claimed or provided any data to show that there is no likelihood of dumping or injury to Domestic Industry. Therefore, the Authority should reject all the claims made by the responding interested parties.
 - ii. The domestic industry is already suffering injury and revocation of anti-dumping duty will lead to intensified injury to the domestic industry. Cessation of anti-dumping duty is likely to have significant suppressing and depressing effect on the prices of the product under consideration in the market.
 - iii. That the producer in Singapore maintains huge capacities of subject goods. In this regard the domestic industry has submitted the evidence to substantiate the claim of surplus capacities of the subject goods in Singapore. It is further submitted that Singapore has limited consumption of subject goods in their local market, and with addition of new capacities in Saudi Arabia and UAE, India remains the attractive market for producers / exporters from Singapore. It is, therefore, submitted that in case of revocation of anti-dumping duties, the volume of imports of the subject goods is bound to increase further, which is evident from the fact of continued injury to the Domestic Industry due to non-remunerative imports in spite of imposition of duty.
 - iv. India ranks second in terms of overall export attractiveness from Singapore on the basis of the report downloaded from the website of Trade Map, which clearly indicates the attractiveness of the Indian market for subject goods.
 - v. That decline in import prices in post-POI as compared to the POI period implies likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty and in itself justifies extension of anti-dumping duty.
 - vi. Continued imposition of anti-dumping duties from few multi-national producers over the years prove beyond doubt that in case duties are revoked, injury to the Domestic Industry will further intensify.

Views of the Other Interested Parties

96. Following are the submissions made by the other interested parties with regard to likelihood of continuation of dumping and consequent recurrence of injury –
- i. There are no surplus production capabilities as Shell has been operating at a very high capacity utilization. The capacity that remained unutilized by Shell was due to the fact that the production of the PUC is dependent on the availability of Propylene Oxide (PO) which is the primary raw material. In any case, “Surplus capacity” claimed by Applicant does not refer to just any capacity over and above the domestic demand in a particular country. Rather, “surplus” refers to idle capacities left over after meeting domestic demand and global demand that is being catered by a producer, and refers to capacity that may be engaged, in the future, for production and sale of subject goods to the Indian markets at dumped prices.
 - ii. Domestic industry has not made any allegations with respect to (a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation; (b) an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the

- likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports; (c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and (d) inventories of the article being investigated; which need to be examined by the Authority. Nevertheless, examination of these factors also does not suggest that there exists likelihood of injury to the domestic industry. Also, DI has not claimed that the imports from Singapore have increased significantly. Further, the increase in imports should be at dumped prices and an increase in imports simpliciter would not suffice.
- iii. The domestic industry has suppressed the actual volume of imports from Singapore in order to insinuate that due to the effect of the additional burden of anti-dumping duties, imports from Singapore to India has reduced and removal of the same would result in an increase in imports again.
 - iv. Imposition of duties in India does not reflect the “price attractiveness” of the Indian market in any manner. Price attractiveness could be established if the Applicant showed that imports from subject country were being sent to a third country at even lower prices, which would be diverted to the Indian market for a better price. The existence of ADD does not, in any way, establish price pattern or attractiveness.
 - v. The Applicant has not substantiated that producers/ exporters from Singapore have absorbed the ADD and are still exporting the subject goods to India at lower prices as compared to other countries. Such random statements regarding likelihood parameters have no place in an anti-dumping investigation and merit rejection.
 - vi. Price underselling cannot be considered as a factor for the purpose of assessing whether the Domestic Industry is suffering from material injury and the same has to be considered only for the purposes of quantifying the amount of ADD to be levied as per decision in Gujarat High Court in *Nirma v. UOI*.

Examination by the Authority with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

- 97. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from Singapore. In relation to the submissions of the interested parties about current dumping margin and injury margin, it is noted that the sunset review investigation is primarily to carry out the likelihood analysis. As per the rules, the Authority is required to analyze likelihood of continuation of dumping of subject goods from subject country and injury to the domestic industry in the event of revocation of anti-dumping duties. At the same time, it is pertinent to note that current dumping margin and injury is a good indicator of likelihood of dumping and injury that in the event duties are withdrawn, injury to Domestic Industry is likely to continue.
- 98. There is continued dumped imports of the subject goods from Singapore despite imposition of the anti-dumping measures, and dumping margins determined for the chain of the co-operating producers and exporters from Singapore continue to be positive. This, by itself, shows that there is likelihood of dumping of subject goods from Singapore. Moreover, imports without ADD are landing at prices lower than the domestic selling prices which shows the likely injurious impact of the imports from Singapore on the Domestic Industry.
- 99. Various factors have been examined to see whether there is a likelihood of continuation and recurrence of dumping and injury from Singapore during the injury investigation period, and whether in such a scenario the domestic industry would continue to suffer material injury.
- 100. The Authority notes that the imports from the subject country marginally declined during the injury period. The same appears to be due to the existing anti-dumping duties and also due to the imports from Saudi Arabia and UAE. However, if the duties are revoked from Singapore, there is every likelihood that the quantum of imports will increase. Moreover, Domestic Industry which already has a low share in total demand, will be vulnerable against such increased imports.
- 101. The Authority has analyzed parameters relating to evaluation of freely disposable capacities and

capacity addition, if any, to explore the possibility of diversion of disposable quantity to Indian market. Domestic industry has claimed that the producers in Singapore are already faced with significant surplus capacities, which could be easily diverted to India and at current rate, injury to Domestic Industry will worsen. As per the information made available by the interested parties, and after examination, it is noted that large capacities to manufacture this product continue to exist in the subject country, and though the volumes of imports of subject goods have declined after imposition of anti-dumping duties, their prices continue to adversely affect the domestic industry as illustrated and examined in this disclosure statement.

102. Despite the anti-dumping duty in force, the import of the subject goods from Singapore continues to be at dumped prices, and dumping margins determined for these producers and exporters continue to be positive. The injury margin determined with respect to cooperating producer/exporter from subject country continues to be positive and significant. The evidence on record shows that India will remain a large export destination for subject country and domestic industry in India remains vulnerable to such dumped imports.
103. It is further noted that the Indian market for the subject goods continues to have a healthy demand for the product. It is also noted that due to this continued growth in the market, India would continue to remain an attractive market for the global players with surplus capacity to export. Further, if the duties are removed, the Indian market will become much more attractive, as they could sell more quantities.
104. Therefore, the Authority holds that there is likelihood of continuation of dumping and injury in the event of cessation of duty.

POST DISCLOSURE COMMENTS

Submissions by the domestic industry

105. The domestic industry reiterated its submissions regarding rejection of response of Shell group entities for grant of individual dumping margin. They have also reiterated their submissions regarding continued injury to the domestic industry and likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry. In addition, the domestic industry submitted as mentioned below.
106. The Authority should reject the responses filed by Shell Group, as they have provided incomplete and misleading information about their group companies involved in the production of major inputs used in the manufacturing of the subject goods.
107. Despite repeated submissions, Shell Group has not shared the name of the entities which according to their submissions, are no longer in operation or not involved in the operation of value chain of the subject goods till the time of the disclosure statement. Further, Shell group has not clarified whether any of such entities, have supplied any input during the POI or not. It has also been submitted that that in the unlikely event the Authority holds that the information of related parties is not required to be filed by the exporters, the Authority may give a clear ruling on the same so that the same approach can be adopted in all current and future cases.
108. Whether the profit and SGA of Shell Eastern Chemicals (S), M/s Pure Chemicals Pte. Ltd., Singapore and Pon Pure Chemical India Pvt. Ltd. has been deducted while arriving at ex-factory export price for the Shell Group? The above adjustment is necessary to compare both the normal value and export price at same level of trade as envisaged in the Paragraph 6(i) of the Annexure I of the Rules.

Submissions by other interested parties

109. In addition to reiterating their earlier submissions regarding not initiating the sunset review investigations against Australia and EU, non-disclosure of the information about related party of the domestic industry, no continued injury to domestic industry, limited capacity of the domestic industry, record profits made by them during the POI, increase in the import price from Singapore during the POI and lack of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the interested parties have submitted as mentioned below.
110. The determination made in the Disclosure Statement with respect to full cooperation by the

Respondents and individual margins and duty may be confirmed by the Authority. If there is anything contrary to this in the determination, then an opportunity should be granted to the cooperating exporters to respond.

111. M/s Expanded Polymers Systems Private Limited (EPSPL) has submitted that instead of manufacturing subject goods, they have moved their manufacturing to value added goods such as polymer polyols, where they are using imported subject goods. They also alleged that copy of non-confidential version of the petition was not provided to them, during the course of the investigation.
112. On the issue of product under consideration and like article, EPSPL has submitted that claim of Applicant is only partially correct as though they may be similar in function and end use, there is difference in quality, technical specification and manufacturing process. It has also been claimed that the Applicant uses outdated technology. They have also demanded exclusion of 3000-4000 molecular weight polyether polyol used for the manufacturing of polymer polyol. EPSPL has also questioned the Applicant's claim of like article and product under consideration and stated that both are not identical and claim is partially correct, therefore, PUC cannot be treated as like article. EPSPL has also requested the Authority not to extend the duties, as this will benefit only one company.
113. The Indian Polyurethane Association and Sheela Foam Limited have submitted that the Domestic Industry has very limited capacity as compared to the demand in India. They have further submitted that Domestic Industry is situated in one extreme corner of the country and supply is not cost effective. They have also submitted that Domestic Industry has shown huge profits in their Annual Accounts.
114. Form of duty cannot be changed in a review unless there are material facts substantiating such change. Reliance is placed on case of Hon'ble CESTAT in Puneet Resins Ltd. V. Designated Authority in this regard. Reference price method involves fixing a reference or floor price, which is based on a pre-determined historical data (POI), while resultant duty is applied for next 5 years. Such reference prices may lose relevance in a highly fluctuating market, where the prices of the product or its inputs are susceptible to volatile market conditions. In the facts of present case, it must be noted that the subject goods are petrochemical based products. Since there has been huge fluctuations in the price of the basic raw materials/inputs, it would be catastrophic for the exporters, importers as well as authority to rely on reference price. For this reliance has been placed on Designated Authority's decision on Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel from EU, Japan, Canada and USA.

Examination by the Authority

115. The Authority notes that the post-disclosure comments / submissions made by the interested parties are mostly reiterations and already examined suitably and adequately addressed in the relevant paras of these final findings. Other post-disclosure comments /submissions made by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
116. Several claims for rejection of the response of SHELL on the ground of not providing complete information in its questionnaire response were made by the Domestic Industry which have been refuted by SHELL with sufficient evidence.
117. The Authority explicitly notes that the contention for rejecting response of SHELL for not filing the questionnaire response of its 4 related parties viz. (i) Ethylene Glycol Singapore (EGS); (ii) Ellba Eastern Pvt. Ltd.(EEPL); (iii) Polyolefin Company Pte Ltd (PCPL); and (iv) Shell Seraya Pioneer Limited (SSPL) cannot be sustained as SHELL has produced sufficient evidence for showing that none of these companies were involved in production or sale of the PUC or were involved in supply of any raw material used for production of the PUC during the POI.
118. As regards the submissions of the domestic industry with regard to responses filed by exporters from Singapore, it is noted that the Authority has considered and accepted the responses of the all exporters from Singapore after due examination and verification of all information.
119. As regards claims of domestic industry to adjust selling and general administrative expenses of the

traders while calculating the ex-factory export price, the Authority notes that comparison of the normal value and ex-factory export price has been done at the ex-factory level of the producer after making appropriate adjustments from its selling prices as mentioned in earlier paragraphs of these Findings. Wherever required, the Authority has also made adjustment on account of selling and general administrative expenses of the trader.

120. As regards the reiteration of submissions relating to Authority's decision to initiate the sunset review only against Singapore, it is noted that there is no discrimination against the exporters from Singapore, as explained above. It is further noted that Rule 23(1B) of the Rules also does not place any restriction on the Authority to exclude any country, against which no positive information about likelihood was submitted by the Domestic Industry. It is also noted that during the investigation also none of the interested parties including Domestic Industry has provided any evidence showing that the conclusion reached by the Authority relating to Australia and EU was incorrect. Hence, the Authority holds that the exclusion of Australia and EU from the scope of the subject countries is appropriate in terms of the law as well as the facts and circumstances of the instant case.
121. As regards the contention of the interested parties that low quantum of imports from the subject countries had prompted the Authority to exclude Australia and EU, the Authority holds that the law does not preclude the Authority to carry out sunset review investigations even when there were no imports from a subject country as the tests under Section 9A(5) of the Act is of likelihood of dumping and injury for which nil imports during the period of investigation is of little consequence. The Authority, in past several cases, has followed the same approach. Therefore, the contention of the interested parties about exclusion of two countries, based on their quantum of imports, is misplaced and incorrect.
122. With regard to the issue of related party of the Domestic Industry situated in Singapore, it is noted that Domestic Industry has provided certification about having no relationship with any exporter of subject goods from subject country or any importer of the subject goods, and they have also stated that they have not imported the subject goods from the subject countries. Further, mere presence of any related entity in subject country does not have any impact on the Domestic Industry in terms of Rule 2(b). In view thereof, the Authority has appropriately considered Applicant as eligible Domestic Industry in terms of the Rules.
123. The Authority has also received submissions from Indian Polyurethane Association (IPU) opposing the imposition of the anti-dumping duties. It is noted that the Association has for the first time in the investigation raised its objections to the extension of the duties, and that too after issuance of the disclosure statement. It is further noted that the Association has also not provided the information in the form and manner prescribed. In any case, their main submissions related to capacity and profitability of domestic industry have been appropriately addressed in these final findings to the extent found relevant.
124. Post issuance of the disclosure statement, the only other known producer of the subject goods, namely, M/s Expanded Polymers Systems Pvt. Ltd., has opposed the extension of the anti-dumping duties against Singapore. They have also stated that they are not manufacturing the like product anymore, and they are now importing the subject goods. On the issue of standing, and domestic industry, it is noted that change of status of the other producer (as per original investigation) ,who is now an importer , has no implication on the status of the applicant as Domestic Industry, since the Applicant now accounts for 100 % of the total domestic production in India. With regard to EPSPL submissions for not having received the notice of initiation and questionnaire, it is noted that after the initiation of investigation, a copy of public notice through a notification was duly sent to EPSPL asking them to submit their response. Further, the said notification was also placed on DGTR website, and the same was publicly available to all interested parties for participating in the investigation. Further, a notice for oral hearing was also placed on the website of DGTR for information to all interested parties. Thus, the Authority has made all possible efforts to reach interested parties. However, response was not received from this importer till the final stage of the investigation or in the form and manner prescribed. Nevertheless, the Authority has examined the issues raised by them in these final findings. As regards the claim of obsolete technology used by the Domestic Industry and issues related to quality in the subject goods manufactured by Applicant

industry is concerned, it is noted that the EPSPL has made mere statements without providing any supporting evidence to substantiate their claim. Moreover, the goods produced by the Domestic Industry and imported subject goods are used interchangeably by the users in the Indian market. In view thereof, the claim made by EPSPL is not sustainable.

125. With regard to the request for imposition of duties in form of reference price, after examining all the submissions made on behalf of the Domestic Industry as well as the other interested parties, the Authority notes that no cogent evidence or material has been produced to substantiate the need to change the form of anti-dumping duty pursuant to the present sunset review investigation. Therefore, the Authority does not deem it appropriate to recommend change in form of anti-dumping duty for the PUC.

H. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

126. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
127. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

I. CONCLUSION

128. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- a. There is continued dumping of the subject goods from subject country and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty.
 - b. The domestic industry has suffered continued injury on account of dumped imports from the subject country.
 - c. The information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the Anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.
 - d. There is sufficient evidence to indicate that the revocation of the anti-dumping duty at this stage will lead to continuation of dumping and injury to the Domestic Industry.

J. RECOMMENDATIONS

129. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link.
130. Having concluded that there is positive evidence on the aspect of dumping, injury and causal link and likelihood of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on the import of PUC from the subject country.
131. Under the circumstances, the Designated Authority considers it appropriate to recommend continuation of definitive anti-dumping duty, as modified, on all imports of the subject goods from the subject country as per column 7 in the duty table below:

Duty Table

S. No	Sub-heading	Description of Goods	Country of origin	Country of exports	Producer	Amount	Unit of measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	3907.20	Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000-4000	Singapore	Any country including Singapore	M/s Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd	45.73	MT	US\$
2.	-do-	-do-	Singapore	Any country including Singapore	Any other producer other than serial no. 1	153.89	MT	US\$
3.	-do-	-do-	Any country other than Singapore	Singapore	Any	153.89	MT	US\$

132. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time.

133. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the with the relevant provisions of the Act.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority